संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्ययोजना (2002–2007)

जनपद – कानपुर नगर

NIEPA DC
D11479

-54235
372
KAN-J

MFN 28301

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11479
DOC, No.....
Date 09-07-2002.

कानपुर नगर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–6
2.	शैक्षिक परिदृश्य	7–22
3.	नियोजन प्रक्रिया	23–31
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	32–35
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	36–40
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (नवीन विद्यालय)	41–44
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	45–62
8.	ठहराव में वृद्धि	63–79
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	80–110
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	111–134

अध्याय - 1
जिले की पृष्ठभूमि

जनपद कानपुर उत्तर प्रदेश के मध्य भाग गंगा–यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। जनपद कानपुर नगर 26° उ0 अक्षांश से 27° उ0 अक्षांश तथा 79" पूर्वी देशान्तर से 81" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3015 वर्ग किमी. हैं तथा इसका सम्पूर्ण विस्तार गंगा नदी से दक्षिण एव पूर्व तथा पश्चिम की ओर है। प्रति वर्ष वर्षा 783 मिमी. (1997) हैं।इस जनपद की सीमायें पूर्व में इस प्रकार रहीं :–

1. उत्तर दिशा में :– गंगा नदी व जनपद उन्नाव।
2. दक्षिण दिशा में :– यमुना नदी व जनपद हमीरपुर
3. पूरब दिशा में :– जनपद फतेहपुर
4. पश्चिम दिशा में :– जनपद कन्नौज एवं औरैया

वर्तमान में समग्र कानपुर जनपद – भौगोलिक दृष्टि से– पूर्व में सेंगुर नदी और पश्चिम दिशा में पाण्डु नदी द्वारा विभक्त सीमाओं के आधार पर क्रमशः कानपुर नगर एवं कानपुर देहात शासकीय आदेशानुसार माह अक्टूबर 1985 में सृजित किये गये। प्रारम्भिक चरण में जनपद कानपुर नगर का नगरीय क्षेत्र एवं तहसील कानपुर सदर के ग्रामीण क्षेत्र – कल्यानपुर, विधनू, सरसौल, विकास खण्ड सम्मिलित किये गये थे। तदुपरान्त शासकीय आदेशासानुसार अक्टूबर 1996 में तहसील घाटमपुर एवं बिल्हौर संक्रमित हो जाने के फलस्वरूप जनपद कानपुर नगर की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हो गया। इस प्रकार जनपद कानपुर नगर का भौगोलिक स्वरूप शासकीय निर्देशन में निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

1. नगर निगम क्षेत्र कानपुर नगर – जो पाँच जोन में विभक्त है।
2. तहसील कानपुर सदर – ग्रामीण अंचल के तीन विकास खण्ड – कल्याणपुर, विधनू एवं सरसौल विकास खण्ड स्थित है।
3. तहसील घाटमपुर – ग्रामीण अंचल के तीन विकास खण्ड क्रमशः घाटमपुर, पतारा, भीतरगांव सम्मिलित किये गये है।
4. तहसील बिल्हौर – ग्रामीण अंचल के चार विकास खण्ड क्रमशः बिल्हौर, शिवराजपुर, चौबेपुर एवं ककवन सम्मिलित किये गये है।

PRASHANT

पावन भागीरथी के तट पर स्थित जनपद कानपुर नगर जलवायु– वनस्पति एवं जीव जन्तुओं की श्रेणी में अपना एक विशेष महत्व रखता है। कानपुर नगर के अमर सेनानियों द्वारा भारत की स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी अहम भूमिका अदा की गयी है, जिसके कारण 1857 के आन्दोलन में इस जनपद की पावन भूमि में स्थित "बिठूर नगर" का नाम आज भी नाना राव पेशवा एवं तात्या टोपे एवं महारानी लक्ष्मीबाई जैसे– स्वतन्त्रता आन्दोलनकारियों के प्रेरणा स्थल एवं जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है; यहीं नहीं कानपुर नगर का स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी काफी महत्व रहा है। 1857 के गदर के समय भी नानाराव, तात्या टोपे एवं गणेश शंकर विद्यार्थी आदि का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रानी लक्ष्मी बाई भी यहां बड़ी हुई। कानपुर का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व भी है; यहीं पर हिन्दू धर्म की आस्था के प्रतीक गंगा–यमुना भी इसकी सीमाओं को स्पर्श करती हुई बहती है तथा बिठूर में ब्रह्मा जी की खूँटी, भक्तराज ध्रुव की तपोस्थली तथा महर्षि वाल्मीकी का क्षेत्र ब्लाक कल्यानपुर के अन्तर्गत स्थित है। इसी प्रकार भीतरगांव ब्लाक में अति प्राचीन गुप्त कालीन मन्दिर के अवशेष आज भी स्थित है तथा वाह्य पर्यटकों का केन्द्र बिन्दु बने हुये है। इसी प्रकार बिल्हौर के अन्तर्गत मकनपुर में सूफी सन्त मदार साहब की मजार भी आध्यात्मिक केन्द्र बिन्दु बनी हुयी है। जिसमें बहुत बड़ा मेला उनकी आस्था एवं विश्वास में प्रति वर्ष लगता है।

साहित्यिक क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले श्री बालकृष्ण शर्मा "नवीन", बृजलाल वर्मा, डॉ0 मुन्शीराम शर्मा (सोन जी) तथा नर्वल (सरसौल) के श्री श्याम लाल (पार्षद) जी, जिन्होंने सुप्रसिद्ध गीत ***"झंडा ऊँचा रहे हमारा"*** को लिखा था। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का स्मारक तथा बच्चों का केन्द्र बिन्दु चिड़ियाघर यहां स्थित है .एवं दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, नवजीवन, राष्ट्रीय सहारा, स्वतन्त्र भारत आदि समाचार पत्र भी यहा से प्रकाशित होते है।

कानपुर एक औद्योगिक/वाणिज्यिक जिला है जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हैं, तथा कम्पनियां भी कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय खेती है तथा खेती की मुख्य फसलें रबी, खरीफ तथा जायद की है। सिचांई के साधनों में नहर, नलकूप, नदी, कुएं एवं तालाब हैं जिसमें नहरों – 101000 हेक्टेयर, नलकूप–300000 हेक्टेयर, निजी – 331000 हेक्टेयर तथा तालाबों से – 90000 हेक्टेयर भूमि की सिचांई होती है। पशुधन भी इस जनपद की आय का मुख्य श्रोत है।

यातायात के साधनों में सड़क परिवहन, वायु एवं रेल परिवहन की सुविधायें उपलब्ध है। बैंकिंग सुविधा भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूरसंचार की सेवाओं का संजाल भी बना हुआ है।

सारणी – 1.1

तहसील	–	03
विकास खण्ड	–	10 आंशिक भाग (ककवन)
न्याय पंचायतें	–	91
ग्राम सभायें	–	556
राजस्व ग्राम	–	1019
बस्तियों की संख्या	–	781
नगरीय क्षेत्र	–	05
नगर निगम	–	02
टाउन/एरिया /	/– / /	/02
वार्ड	–	180

जनसंख्याः– जनपद कानपुर नगर में कुल आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 3253572 थी। जिसमें पुरूष 1765604 तथा महिलायें 1487968 हैं। जिसमें 622079 पुरूष तथा 546921 महिला कुल 1169000 ग्रामीणांचल में है। नगरीय जनसंख्या 1143525 पुरूष तथा 940997 महिला कुल 2084574 है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 159223 पुरूष 139045 महिला कुल 298268 अनुसूचित जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में तथा 125191 पुरूष 119829 महिला कुल 240020 नगरीय क्षेत्र में हैं। जनजाति कुल 788 ग्रामीण 883 नगरीय क्षेत्र में है। जो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूष – 2191214 तथा महिला 1946275 कुल – 4137489 हो गयी है। 0–6 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या 580016 है।

उपरोक्त को अद्योलिखित वर्णित किया गया है।

सारिणी संख्या 1.2

आधार वर्ष 1991 की जनसंख्या – कुल एवं अनु. जाति

क्रम	ब्लाक ग्रामीण अनु.	1991 की कुल जनसंख्या			कुल अनु. जाति		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	कल्यानपुर	58247	53767	112014	14008	12971	26979
2.	विधनू	71382	59301	130683	19259	15999	35258
3.	सरसौल	74899	63558	138457	19279	16360	35639
4.	चौबेपुर	53172	44986	98158	8944	7548	16492
5.	शिवराजपुर	48856	45097	93953	13973	12897	26870
6.	बिल्हौर	65350	60322	125672	17004	15696	32700
7.	ककवन	36185	22124	48309	7254	5903	13157
8.	भीतरगांव	75385	65386	140771	18537	15780	34317
9.	पतारा	64785	55009	119794	19136	17665	36801
10.	घाटमपुर	83818	77371	161189	20829	19226	40055
	योग	622079	546921	1169000	155223	[illegible]	298268
1.	शिवराजपुर	4074	3474	7548	914	765	1679
2.	बिठूर	4450	2994	7444	960	315	1275
3	बिल्हौर	7904	7037	14941	549	426	975
4.	घाटमपुर	12872	11878	24750	3199	2952	6151
	नगर निगम	1114225	915664	2029889	119569	110371	229940
	योग	1765604	1487968	3253572	264414	253874	538288

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि घाटमपुर विकास खण्ड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या 48667 है तथा सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या [illegible]पुर में 2[illegible]120 है।

PRASHANT

सारणी संख्या 1.3

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	जनसंख्या 1991								
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			अनु0 जनजाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	4450	2944	7444	960	315	1275	–	–	–
2.	शिवराजपुर	4074	3474	7548	914	765	1679	138	118	256
3.	विल्हौर	7904	7037	14941	549	426	975	181	155	336
4.	घाटमपुर	12872	11878	24758	3199	2952	6151	–	–	–
5.	नगर निगम	1114225	915664	2029889	119569	110371	229940	262	223	485
	योग	1143525	940997	2084580	125191	114829	240020	581	496	1077

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित जनसंख्या 2001								
		कुल जनसंख्या			अनु0 जाति की कुल जनसंख्या			अनु0 जनजाति की कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	5429	3652	9081	1171	384	1555	–	–	–
2.	शिवराजपुर	4970	4238	9208	1158	933	2048	138	118	256
3.	बिल्हौर	9643	8585	18128	670	520	1190	181	155	336
4.	घाटमपुर	15704	14496	30200	3902	3602	7504	–	–	–
5.	नगर निगम	1287762	1188703	2476465	145874	134653	280527	262	223	485
	योग	1323508	1219674	2543082	152775	140092	292824	709	605	1314

वर्ष 1991 में नगरीय जनसंख्या कुल 64.07 प्रतिशत है जिलें में प्रति हजार पुरूषों के सापेक्ष 843 महिलायें है। नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक हैं इसका मुख्य कारण कानपुर जैसा विशाल औद्योगिक शहर रहा है। राज्य में विभिन्न प्रान्तों एवं जनपदों से लोग व्यापार करने एवं कारखानों में कार्य करने के उद्देश्य से यहां आते रहते है जिसके कारण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। अनुसूचित जाति की कुल नगरीय संख्या 7.38 प्रतिशत है जो यह साबित करती है कि इस वर्ग की नगरीय क्षेत्र में भागीदारी अत्यन्त न्यून है। इसका मुख्य कारण निरक्षरता, गरीबी एवं उनके पिछड़ेपन का घोतक है।

सारिणी संख्या 1.4

1991 के आधार पर 2001 की जनसंख्या

क्रम	नाम ब्लाक	कुल			अनु. जाति			अन. जा प्रतिशत
1.	कल्यानपुर	71061	65596	136657	17090	15825	32915	24.0
2.	विघनू	87086	72347	159433	23592	19599	43191	27.0
3.	सरसौल	91376	77541	168917	23521	19959	43480	26.0
4.	चौबेपुर	64870	54883	119753	10912	9209	20120	16.8
5.	शिवराज	59604	55019	114623	17047	15734	32781	28.6
6.	बिल्हौर	79726	73594	153320	20745	19149	39894	26.0
7.	ककवन	33165	25771	58936	8849	7202	16051	27.2
8.	भीतरगाँव	91971	79771	171742	22615	19251	41866	24.3
9.	पतारा	75997	70152	146149	23347	21550	44897	30.7
10.	घाटमपुर	102258	94394	196650	25411	23456	48867	24.8
	योगः–	**757114**	**669066**	**1426180**	**193129**	**170934**	**364063**	**25.5**

नगर क्षेत्र – शिवराजपुर	4970	4238	9208	1115	933	2048	22.2
नगर क्षेत्र – बिठूर	5429	3652	9081	809	746	1555	17.1
नगर क्षेत्र – बिल्हौर	9643	8585	18228	670	520	1190	10.5
नगर क्षेत्र – घाटमपुर	15704	14496	30200	3902	3602	7504	24.8
नगर क्षेत्र – योग	**35746**	**30971**	66917	6496	**5801**	**12297**	**18.3**
नगर निगम कानपुर	1287762	1188703	2476465	145874	134653	280527	11.3
महायोगः–	2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	16.6

नोटः– वर्ष 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार व जातिवार सारणी अभी उपलब्ध नही है। इसलिए अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

प्रदेश 1991 की कुल साक्षरता दर 41.6 है। जिसमें 56.7 पुरूष तथा 41.6 महिलाओं की साक्षरता दर है। जिले की साक्षरता 1991 के आधार पर कुल 68.76 साक्षरता दर है। जिसमें 76. 73 पुरूष तथा 58.82 महिलाओं की साक्षरता है। जिसमें ग्रामीण साक्षरता 39.6 तथा नगरीय साक्षरता 45.6 ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष की साक्षरता, 49.50 स्त्रियों की 29.10 नगरीय क्षेत्र में 45.6 जिसमें पुरूष 55.64 तथा महिलायें 35.71 ही साक्षर है। कानपुर शहर की साक्षरता कुल 61.84 प्रतिशत है जिसमें 68.76 पुरूष तथा 53.40 प्रतिशत महिला साक्षरता दर है। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर 39.6 है जो प्रदेश की साक्षरता दर 41.6 से कम है। अतः निरक्षरता के प्रतिशत को कम करने के लिए असेवित क्षेत्रों में महिला साक्षरता हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

सारणी – 2.1

साक्षरता दर

जनगणना 1991 के आधार पर

जनपद की साक्षरता	–	दर
कुल साक्षरता	–	53.72
ग्रामीण साक्षरता	–	39.06
नगरीय साक्षरता	–	45.06
कुल पुरूष साक्षरता	–	61.92
कुल महिला साक्षरता	–	43.80

जिले की अनुसूचित जाति की साक्षरता

पुरूष	53.72
महिला	43.80
ग्रामीण पुरूष	49.50
ग्रामीण महिला	29.10
नगरीय पुरूष	55.64
नगरीय महिला	35.71

नोटः– वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 77.63 हो गयी है। पुरूष साक्षरता दर 82.08 तथा महिला साक्षरता दर 72.50 है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एन.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रम :-

1. नगर क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते है संस्था द्वारा अभियान चलाकर उनकी शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। इस दिशा में मलिन बस्तियों में भ्रमण कर सर्वे के आधार पर केन्द्र संचालित कर बच्चों के पठन-पाठन की व्यवस्था बनायी जायेगी। उनके शैक्षिक स्तर में सुधार की प्रक्रिया लागू की जायेगी। इस कार्य हेतु स्वैक्षिक एवं स्वावलम्बी संगठन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

2. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण सुधार के लिये विज्ञान के अध्यापकों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। जिन विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक नहीं है ऐसे विद्यालयों में विद्यालय संकुल के माध्यम से विज्ञान विषय की शिक्षण व्यवस्था लागू की जायेगी नवाचार शिक्षण के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षण के विषयों पर माड्यूल एवं पैकेज तैयार कर कक्षा में उनका प्रदर्शन कराया जायेगा। समय-समय पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी कराया जायेगा। जिससे छात्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं इण्टर कालेज का चयन कर तथा उनकी प्रयोगशालाओं को समृद्ध कर उस क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्रा0वि0 को जोड़कर सघन विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। प्रारम्भ में प्रत्येक विकास खंड में दो ऐसे केन्द्र विकसित किये जायेंगे और सफलता के आधार पर इस कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

सारणी – 2.2

विकास खण्डवार साक्षरता दर

जनपद की साक्षरता												
क्र.स.	नाम ब्लाक	कुल साक्ष.	ग्रामीण साक्ष.	नगरीय साक्ष.	कुल साक्ष. साक्ष	कुल साक्ष.	अनु. जाति साक्ष.		कुल ग्रामीण साक्ष.		कुल नगरीय साक्ष.	
							पु0	म0	पु0	म0	पु0	म0
1.	कल्यानपुर	39.72	37.24	40.2	49.87	27.50	49.87	27.50	48.0	26.48	58	24.4
2.	बिघनू	39.20	39.20	-	48.87	27.53	48.87	27.53	48.87	27.53	-	-
3.	नरसौल	40.71	40.71	-	51.63	27.84	51.63	27.84	51.63	27.84	51.63	27.84
4.	घाटमपुर	39.59	35.98	41.2	49.22	26.15	49.22	26.15	49.2	22.54	49.22	33.18
5.	नीतरगाँव	41.76	41.76	-	52.37	29.57	52.37	29.57	52.37	29.57	-	-
6.	पतारा	28.85	38.85	-	49.25	26.60	49.25	26.60	49.25	26.60	-	-
7.	चौबेपुर	42.80	42.80	-	52.89	30.38	52.89	30.88	52.89	30.38	-	-
8.	शिवराज	42.76	41.70	43.82	52.26	31.55	52.26	31.55	52.26	31.14	52.26	35.38
9.	बिल्हौर	40.24	39.47	41.01	48.84	30.22	48.84	30.22	50.00	28.94	50.00	12.02
10.	ककवन	38.30	38.30	-	49.50	25.10	49.5	25.10	49.50	26.10	-	-
11.	नगर निगम	61.84	-	61.84	68.76	53.30	68.06	53.40	-	-	68.76	53.40
	योगः–	73.20	39.06	45.096	61.92	43.80	53.72	43.80	49.50	29.10	55.64	35.71

नोटः– जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्डवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नही है।

शैक्षिक संस्थाएं

यह जिला औद्योगिक एवं वाणिज्यिक का केन्द्र होने के कारण यहाँ पर भारी तादाद में बाल श्रमिक विभिन्न कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत होने के कारण शिक्षा की मुख्य धारा से कट जाते हैं। इसी प्रकार भट्ठों में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश के पूर्वी जिलों से आये अल्पकालिक श्रमिकों के बच्चे भी साक्षरता नही प्राप्त कर पाते हैं एवं सड़कों, स्टेशनो, एवं चौराहों पर घूम-घूम कर धनोपार्जन के लिए कार्य करते हैं ऐसे घुनतू बच्चे भी शिक्षा की मुख्य धारा अलग रह जाते हैं तथा शहर की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे भी साक्षरता की दर को नीचा कर देते हैं, मुस्लिम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की दशा बड़ी दयनीय है। समाज के ऐसे वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें।

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारिणी-2.3 में दिया गया है।

शैक्षिक संस्थाएं

सारि

क्रम	विद्यालय के प्रकार	परिषदीय / शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	योग	ग्रा.	नग.	गो
1.	प्राथमिक विद्यालय	1001	443	1444	146	992	1138	1147	1435	2582	62	361	42
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	01	01	07	02	09	07	03	10	–	–	
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	253	39	292	109	400	509	362	438	800	44	286	330
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	01	01	02	60	06	66	61	07	68	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	09	09	–	–	–	–	09	09	–	–	
6	नवोदय विद्यालय	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	01
7.	हाई स्कूल	02	01	04	97	24	121	100	25	125	15	86	101
8.	इण्टरमीडिएट	02	01	03	125	54	179	127	55	182	12	65	77
9.	डिग्री कॉलेज	01	–	01	10	05	15	11	05	16	–	–	–
10.	स्नोतकोत्तर महावि.	–	–	–	–	10	10	–	10	10	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	02	02	–	02	02	–	–	--
12.	तकनीकी संस्थान (आई.टी. आई / पॉलिटेक्निक	00	15	15	02	10	12	02	25	27	–	–	--
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	10	10	–	10	10	5	4	9
14.	आगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	798	200	998	–	–	–	798	200	998	–	–	--
15.	मकतब / मदरसे	–	–	–	12	14	26	12	14	26	–	10	10
16.	संस्कृत पाठशालाएं	–	–	–	03	06	09	03	06	09	–	05	05
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	–	–	–	01	02	03	01	02	03	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय	–	–	–	–	–	50	–	–	50	–	–	–
19	खण्ड संसाधन केन्द्र	–	–	–	–	–	–	--	–	--	–	--	--
20.	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	--
21.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–

शिक्षकों की उपलब्धता

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिये प्रत्येक विद्यालय पर एक प्र0अ0 एवं मानक के अनुसार 1:40 के अनुपात में अध्यापक की व्यवस्था की गई है। किन्तु किसी भी विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में 3027 पद सृजित है। जिसके सापेक्ष कुल 2900 शिक्षक कार्यरत है। एक जुलाई 2000 को मानक निर्धारित करते हुये 127 प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों के पद रिक्त है।

नगर निगम में विगत कई वर्षों से नवीन नियुक्ति तथा पद स्थापना पर रोक लगी होने की कारण सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं मृत शिक्षकों के पद 1782 पद रिक्त है। जनपद की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सारिणी नं0 4 संलग्न है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों 11–14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुल 1724 स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष ग्रामीण अंचल में 826 शिक्षक कार्यरत है। 1 जुलाई 2000 को आधार मानते हुये 492 पद रिक्त है। नगर निगम में कुल स्वीकृत पद 210 है। जिसके सापेक्ष 117 शिक्षक कार्यरत है एवं 93 पद रिक्त है। जनपद की स्थिति स्पष्ट करने हेतु विवरण तालिका सारिणी नं0 5.1 संलग्न है।

सारणी सं0-2.4
शिक्षकों की उपलब्धता

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र	सृजित 3027	कार्यरत जुलाई 01 तक 2900 वर्तमान में	रिक्त 127	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या 16
नगर निगम	2532	0750	1782	नियुक्ति पर रोक लगी है।
परिषदीय उच्च प्रा0 वि0 ग्रामीण क्षेत्र	1514	0791	0723	—
नगर निगम	0210	0117	0083	—

PRASHANT

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों की उपलब्धता :– जनपद में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 837 है। इसमें से 814 ग्रामों में एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय विद्यालय उपलब्ध है। 1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 दूरी से पर 11 ग्राम ऐसे हैं। जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है साथ ही 12 ऐसे ग्राम है। जहां पर 1.5 किमी से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है।

सारणी सं0-2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	814	11	12
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	383	58	31

जनपद में 300 से अधिक आबादी वाली 472 बस्तियां है। इनमें से 383 बस्तियों में 1 किमी0 की परिधि में प्राथमिक विद्यालय है। 58 बस्तियों में 1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है तथा 31 ऐसी बस्तियां है जहां पर 15 किमी0 से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित है।

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता :–

जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की जनसंख्या 669 है। जिनमें से 639 ऐसे ग्राम है। जहां पर 3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है। इसी प्रकार जनपद में 800 से अधिक आबादी वाले 169 बस्तियों जिनमें से 162 में 3 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध है। किन्तु जनपद की 800 से अधिक आबादी वाली बस्तियों की संख्या 7 है, जिनमे 3 किमी0 से अधिक दूरी पर सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अनुपात एक करने से जनपद में 223 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी।

सारणी सं0-2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 वि0 उपलब्ध	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक वि0 अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्रा0वि0 की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	639	36	–
ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	162	07	233

1:2 के आधार पर असेवित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की गणना :–

1. कुल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय – 1444
2. कुल प्रस्तावित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय – 106
3. योग (क्रम सं0 1 व 2) – 1550
4. कुल परिषदीय प्रा0 वि0 एवं कुल प्रस्तावित प्रा0वि/2 – 775
5. कुल परिषदीय उच्च प्राथमिक वि0 – 292
6. वांछित उच्च प्राथमिक विद्यालय (क्रम सं0 4–5) – 483

अतः 483 उ0 प्र0 वि0 स्थापित करने के पश्चात् सारणी 2.6 में दी गई असेवित बस्तिया स्वतः ही सेवित हो जायेगी।

सलंग्नक : 2.1

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध		1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध		1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	
		ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसे ग्रामों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	ऐसी बस्ती की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।
1.	कल्यानपुर	69	43	—	03	—	19
2.	विधनू	74	—	04	—	—	20
3.	सरसौल	59	02	04	—	—	12
4.	चौबेपुर	100	64	02	04	—	21
5.	शिवराजपुर	45	—	02	—	—	24
6.	बिल्हौर	51	—	01	—	—	33
7.	ककवन	13	—	06	—	—	07
8.	भीतरगांव	73	21	02	—	—	31
9.	पतारा	41	12	11	03	—	19
10.	घाटमपुर	114	20	04	—	—	37
	योग	639	162	36	07	—	223
	नगर निगम	—	—	—	—	—	—

प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें, जनपद–कानपुर नगर

क्रम सं.	नाम ब्लाक/क्षेत्र	कुल विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भवन								मरम्मत योग		शौचालय			हैण्डपम्प			चहरदीवारी		
			1 क.	2 क	3 क	4 क	5 क	5 से अधिक	किस्में के भवन	योग	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	शौचालय	शौचालय विहीन	शौचालय की आवश्यकता	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता	40 हजार चहार दीवारी यु.	चहार दीवारी विहीन	चहार दीवारी की आवश्यकता
1.	कल्याणपुर	101	–	99	–	02	–	7	–		17	03	1000	01	01	49	52	52	37	64	64
2.	विधनू	106	–	105	05	04	02	–	–		05	03	113	03	03	55	61	61	53	63	63
3	सरसौल	121	–	108	08	04	01	–	–		10	087	119	02	02	61	60	60	36	85	85
4.	चौबेपुर	96	–	94	–	02	–	–	–		17	03	95	01	01	27	69	69	11	85	85
5.	शिवराजपुर	92	–	90	–	02	–	–	–		04	02	92	–	–	33	59	59	11	81	81
6.	बिल्हौर	108	–	95	05	07	01	–	–		08	07	105	03	03	39	69	69	08	100	100
7.	ककवन	35	–	33	01	01	–	–	–		03	02	35	–	–	10	25	25	–	35	35
8.	भीतरगांव	124	–	113	04	07	–	–	–		02	05	124	–	–	80	44	44	07	117	117
9	पतारा	97	–	85	07	03	01	01	–		25	06	96	01	01	07	90	90	04	93	94
10.	घाटमपुर	122	–	110	06	02	03	01	–		22	08	122	–	–	23	99	99	17	105	105
	योग ग्रामीण	1012	–	932	36	34	08	02	–		113	46+1	1001	11	11	384	628	628	184	828	829
	नगर निगम कानपुर	432	–	81	23	–	15	–	198+115=313		20	60	50	68	68	18	100	100	01	117	117
	कुल योग	1444	–	1013	59	34	23	02	313		133	106+1	1051	79	70	402	728	728	185	945	945+1

सलंग्नक : 2.6

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें, जनपद–कानपुर नगर

क्रम सं.	नाम ब्लाक/क्षेत्र	कुल विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय भवन								मरम्मत योग		शौचालय			हैण्डपम्प			चहरदीवारी		
			1 क.	2 क	3 क	4 क	5 क	5 से अधिक	किस-में के भवन	योग	लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	शौचालय	शौचालय विहीन	शैचालय की आवयकता	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प विहीन	हैण्डपम्प की आवश्यकता	40 हजार चहार दीवारी मु.	चहार दीवारी विहीन	चहार दीवारी की आयश्य कता
1.	कल्याणपुर	32	–	–	–	32	–	–	–	–	04	03	32	–	–	21	11	11	29	02	02
2.	विधनू	37	–	–	–	37	–	–	–	–	02	–	32	05	05	21	16	16	03	34	34
3	सरसौल	46	–	01	–	42	–	03	–	01	03	02	43	03	03	27	19	19	12	34	34
4.	चौबेपुर	23	–	–	–	23	–	–	–	–	03	–	23	–	–	15	08	08	03	23	23
5.	शिवराजपुर	22	–	–	–	21	01	–	–	–	–	02	22	–	–	06	16	16		22	22
6.	बिल्हौर	21	–	01	–	17	02	01	–	–	03	01	20	01	01	05	16	16	03	18	18
7.	कल्याणपुर	07				07					02		07	–		02	05	05		07	07
8.	भीतरगांव	29	–	–	–	27	–	02	–	–	02	–	29	–	–	21	08	08	05	24	24
9	पतारा	20	–	–	–	19	–	01	–	01	03	01	19	01	01	06	14	14	–	20	20
10.	घाटमपुर	23	–	–	–	20	03	–	–	–	02	01	22	01	01	098	14	14	03	20	20
	योग ग्रामीण	260	–	02	–	245	06	07	–	02	27	10	249	11	11	133	127	127	58	194	194
	नगर निगम कानपुर	32	–	03	–	02	01	–	26	–	01	01	1+1	01	01	01	01	01	30	01	01
	कुल योग	292	–	05	–	247	07	07	26	28	11	251	12	12	135	128	128	128	88	202	202

विद्यालय में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

क्रम. सं.	विद्यालय		योग	नगरीय	ग्रामीण
1.	प्राथमिक विद्यालय				
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या		–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या		1013	81	932
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या		59	23	36
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या		34	–	34
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या		23	15	8
	एक कक्षा से अधिक वाले विद्यालय		02	–	02
	किराये पर भवन		115	115	–
	भवनहीन		198	198	–
2.	मरम्मत योग्य विद्यालय–240		लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत	
			योग्य–133	योग्य–107	
3.	शौचालय	शौचालय युक्त	402 शौचालय	योगः शौचालय की आवश्यकता–728	
			विहीन–728		
4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	1051 हैण्डपम्प	योगः हैण्डपम्प की आवश्यकता–79	
			विहीन–79		
5.	चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	185 चहारदीवारी	योगः चहारदीवारी की आवश्यकता–945	
			विहीन–945		

उच्च प्राथमिक स्तर

क्रम. सं.	विद्यालय		योग	नगरीय	ग्रामीण
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय		कुल वि. की सं. 292	भवन युक्त 292, जर्जर भवन 2	
2.	मरम्मत योग्य		लघु मरम्त 2.4		
	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या		–		
	दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या		05		
	तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या				
	चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या		247		
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की संख्या		07		
	एक कक्षा से अधिक वाले विद्यालय		07		
3.	शौचालय	शौचालय युक्त	135 शौचालय	योगः शौचालय की आवश्यकता–128	
			विहीन–728		
4.	हैण्डपम्प	हैण्डपम्प युक्त	251 हैण्डपम्प	योगः हैण्डपम्प की आवश्यकता–12	
			विहीन–12		
5.	चहारदीवारी	चहारदीवारी युक्त	59 चहारदीवारी	योगः चहारदीवारी की आवश्यकता–195	
			विहीन–195		

सारणी 2.10

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं में कमी / आवश्यकता

क्र.सं.	आइटम / सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी.पी.ई.पी.–11वें वित्त आयोग प्राविधान / जिला वित्त योजना	मांग	कमी	डी.पी.ई.पी.–11वें वित्त आयोग का प्राविधान	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	106	–	106	158	–	158
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	64	–	64	02	–	02
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्रशिक्षक / प्रति कक्षा–कक्ष एवं नामांकन में वृद्धि के आधार पर)	1168	80 *	1088	633	–	633
4.	पेयजल	79	–	79	12	–	12
5.	शौचालय	728	–	728	128	–	128
6.	चाहारदीवारी	946	–	450	202	–	–

* 11वें वित्त आयोग में स्वीकृत इनकी लागत परियोजना लागत में समाविष्ट कर ली गयी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर में 02 विद्यालय भवन, 02 शौचालय, 02 हैण्डपम्प तथा 02 चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

नोटः विद्यालय / भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिए भविष्य (आगामी वर्षों) के लिए केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1997 से 2000 तक छात्र नामांकन वर्षवार

6–11 (प्राथमिक स्तर)

कानपुर नगर

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि %
1997–98	194000	154000	348000	–
1998–99	196000	170000	366000	5.17
1999–2000	198000	193000	391000	6.83
2000–2001	253006	215524	468529	19.8

परिषदीय, शासकीय, मान्यता प्राप्त, निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर छात्र नामांकन में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि समुदाय में प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागृति आई है और अपने बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित हुये हैं। विगत 3 वर्षों में औसतन 11% की वृद्धि नामांकन में हुई है, जो उत्साहवर्द्धक है।

1997 से 2000 तक छात्र नामांकन वर्षवार

11–14 (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	बालक	बालिका	योग	वृद्धि %
1997–98	74700	66300	141000	–
1998–99	84000	68300	152300	8
1999–2000	99000	80000	179000	17.5
2000–2001	106663	90861	197523	10.3

उच्च प्राथमिक स्तर पर परिषदीय, शासकीय, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालयों के 6–8 अनुभाग के सभी विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये छात्र नामांकन में विगत 3 वर्षों में औसतन 10% की वृद्धि हुई है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–कानपुर नगर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	52000	44200	33800	130000	-
1999-2000	55600	47260	36140	139000	7
2000-2001	65600	54120	44280	164000	18

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	76700	52000	-
1999-2000	91800	55600	72.5
2000-2001	97300	65600	71.5

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	248	292	15%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यनिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	100	253	19	272	3.7 : 1
नगर क्षेत्र	443	39	76	115	3.9 : 1
योग	1444	292	95	387	3.7 : 1

उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हो रही है, जो औसतन 13% है तथा उत्साहवर्धक है।

कक्षा 5 से कक्षा 6 में छात्राओं की ट्रांजीशन दर लगभग 72% है। कक्षा 5 में उर्त्तीण लगभग 28% बच्चें कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उचित दूरी के अन्दर उपलब्ध न होना है।

जनपद कानपुर नगर किसी भी परियोजना से आच्छादित न होने के कारण अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध न हो सके। 7 वर्षों की अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में मात्र 15% की वृद्धि हुई है, जो प्रति वर्ष 2% है तथा प्राथमिक स्तर पर हुये विस्तार के सापेक्ष अत्यधिक न्यून है। माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुभाग को भी सम्मिलित करने पर उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 1:3.7 है। अतः यह स्थिति ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र दोनों के लिए एक जैसी है। अतः जनपद कानपुर नगर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अधिक आवश्यकता है, जिससे प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 3 उर्त्तीण बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्वशिक्षा अभियान :–

सर्वशिक्षा अभियान सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जो केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा। सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 2010 तक की दीर्घकालीन योजना है। जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार की साझेदारी है। एक सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने एवं विद्यालय के प्रति स्व की भावना का विकास करने तथा योजना का विकेन्द्रीकरण इस अभियान का लक्ष्य है। सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम हे। जिसमें शिक्षा की प्रगति के लिये अब तक किये गये प्रयासों को एक जुट करते हुये बस्ती स्तर की शिक्षा योजनाओं को विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत करके तथा विकास खण्ड स्तर की सभी योजनाओं को एकीकृत करके जिला स्तर की योजना तैयार की जायेगी। जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना तैयार करने हेतु जिले में एक नियोजन टीम का गठन किया गया। जिसने सीमेट इलाहाबाद में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का फालो–अप लखनऊ में एस.पी.ओ. द्वारा किया गया।

स्कूल चलो अभियानः–

1 जुलाई 2000 से 15.8.2000 के मध्य जिले में स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य व्यापी आन्दोलन के तहत इस जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया। प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 16 जुलाई से 15 अगस्त 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरणः–

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नव–निर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत रैलियाँ, बैठकें, आयोजित की गईं।

उक्त अभियान को गति प्रदान करने हेतु 4 जुलाई 2000 को शासन द्वारा नामित प्रभारी मंत्री श्री लालजी टण्डन ने जन जागरण के लिए निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना

किया। एक विशाल सभा को सम्बोधित किया और उन्होंने सभी का आह्वान किया कि इस अभियान को सफल बनाया जाये और सभी बालक/बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित किया जाये।

इस अवसर पर विकास खंड तथा ग्राम स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियाँ निकाल कर जन–जागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर हैं स्कूल भेज सकें। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समितियों ने भी सक्रिय सहयोग दिया।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, बहुउद्देशीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया।

इस प्रपत्र का ठीक से भरने हेतु उन्हें निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क स्थापित करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि उनके परिवार के बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे हैं अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यो का पर्यवेक्षण करने के लिए विकास खंड स्तर की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित होने सछूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 91 न्याय पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 180 वार्डो के लगभग 2•48 लाख (नगरीय) तथा 1•50 लाख (ग्रामीण) परिवारों में बाल गणना की गयी। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 793872 बच्चे चिन्हित किये गये, जिसमें 6–11 वय वर्ग के 496170 बच्चे थे।

द्वितीय चरणः–

6–11 वय वर्ग के बच्चों में से ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो विद्यालयों में नहीं जा रहे थे। ऐसे कुल बच्चे लगभग 26664 थे। उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अभिप्रेरित किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालय में न पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराने हेतु प्रत्येक विकास खंड में गोष्ठियां की गयी। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जन–सम्पर्क किया। उपरोक्त बच्चों का उसी समय विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले चिन्हाकिंत 15998 बच्चों में से 15139 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। स्कूल के बाहर केवल उन्हीं .बच्चों का नामांकन नहीं हो सका जो पहले कभी स्कूल नहीं गये थे। और जो अपने परिवार के साथ किसी व्यवसाय में संलग्न हैं।

स्कूल चलो अभियान

जिला कानपुर नगर

बालगणना में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या			अभियान के अन्तर्गत न पढ़ने वाले बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14
बालक	258008	155003	13184	7921	244824	147082
बालिका	238162	142699	13480	8077	224682	134622
योग	496170	297702	26664	15998	469506	281704

इसके पूर्व मई में बालगणना कराई गयी बाल गणना के आंकड़ो का विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर पर संकलन किया गया। ताकि उन क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जा सके, जहां पर आउट आफ स्कूल बच्चे अधिक है तथा बालिकाओं का ठहराव कम है।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल, ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है। जिसके लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त ही विद्यालय छोड़े।

माइक्रो प्लानिंग (सूक्ष्म नियोजन)

कानपुर नगर जनपद में स्कूल चलो अभियान के दौरान ग्राम शिक्षा समितियों ने शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सकिय योगदान दिया। अभी इस जिले में विधिवत् माइकोप्लानिंग नहीं हुई है तथापि ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से ऐसी असेवित बस्तियों को चिन्हांकित किया जा चुका है जहाँ शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान में बस्ती और परिवार को इकाई मानते हुए माइकोप्लानिंग का कार्य किया जायेगा। ताकि निम्नलिखित सूचनायें ग्रामवासियों के सहयोग से एकत्र कर ग्राम/विधालय स्तर पर रखी जा सकें :–

1 ग्राम में 6–14 वय वर्ग के कुल बच्चे।

2 विद्यालय/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे।

3 विद्यालय न आने वाले बच्चे।

4 क्या गाँव में स्थित प्रा0वि0 के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं।

5 यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए क्या उपाय किये जायें।

6 क्या विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है।

9 क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं।

समुदाय द्वारा अद्यावधिक माइक्रोप्लानिंग का चक्र सर्वशिक्षा अभियान के प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन 2001–2002 में पूर्ण किया जायेगा।

जनपद कानपुर नगर में नगरीय क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य सर्वशिक्षा अभियान के पूर्व परियोजनान्तर्गत गतिविधियों के अनुसार चल रहा था परन्तु नगर में अचानक भड़के दंगे के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नगरीय योजनाओं से सम्बन्धित ऑकड़ों का विवरण तथा सर्वेक्षण के तथ्यों को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2002–2003 में दर्शाया जायेगा।

PRASHANT

इसके पश्चात उपरोक्त स्थानों पर समुदाय की अनुभूत आवश्यकताओं/समस्याओं की जानकारी करने हेतु फोकस ग्रुप डिस्कशन किये गये। इनके अलावा जिला स्तर तथा विकास खण्ड स्तर पर जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया। इन फोकस ग्रुप डिस्कशन तथा बैठकों का सारांश निम्न सारणी में दिया गया है :–

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्रम स.	स्थान एवं तिथि	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार विमर्श के प्रमुख बिन्दु
1.	जिला पुस्तकालय, कानपुर, 8.2.2001	अधिकारी–24 अध्यापक–5	1. भौतिक संसाधनों में वृद्धि की जाये। 2. अध्यापकों से अन्य विभागीय कार्य न लियों जायें । 3. शिक्षा अनिवार्य की जाये । 4. अध्यापकों को उनके धर सें दूर नियुक्त किया जाये । 5. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए। 6. पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए। 7. अभिभावकों/माता संगठनों की बैठकों का आयोजन किया जाए। 8. मूल्यांकन पद्धति में परिर्वतन किया जाए। 9. गरीब छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सामग्री उपलब्ध करायी जाए। 10. निरीक्षण अधिकारियों की भी समय–2 पर प्रशिक्षण दिया जाए।
2.	जिला अधिकारी शिविर कार्यालय 15.2.2001	अधिकारी–20	1. शिक्षा सभी की आसान पहुँच के अन्दर हो। 2. शहर की मलिन बस्तियों में विद्यालयों की व्यवस्था की जाए एवं जो परिषदीय विद्यालय बन्द है उन्हें आवश्यकता वाले स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए। 3. ऐसे स्थानों पर जिनके बीच में नदी–नाले रेलवे लाइन, प्राकृतिक अवरोध हो। उन स्थानों पर मानक से हटकर कम दूरी पर भी विद्यालयों की स्थापना की जायें। 4. बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले जाए। (विशेषकर जू. हा. स्कूल) 5. जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाए। 6. भौतिक संसाधनों में वृद्धि की जाए।

			7. स्कूल न जाने वाले एवं पढ़ाई के प्रति लापरवाही करने वाले अध्यापकों के प्रति सख्त कार्यवाही की जाये। 8. निःशुल्क पाठ्य सामग्री गरीब छात्रों को उपलब्ध करादी जायें। 9. 1:40 के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था की जाए। 10. लापरवाह एवं एक ही स्थान पर वर्षों से तैनात अध्यापकों का स्थानान्तरण दूर किया जाए।
3.	ग्राम–रामपुर, सरसौल विकास खण्ड 9.2.2001	प्र0अ0 ग्राम प्रधान अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि महिलायें (कुल–20)	1. अल्पआयु में बालिकाओं की शादी करा दी जाती है। 2. घरेलू कार्यवश बालिकाए विद्यालय नहीं आती। 3. बालिकाओं को अपने छोटे–छोटे भाई–बहनों को घर पर रखना पड़ता है। 4. बालिकाएं विद्यालय में असुरक्षा की भावना के कारण स्कूल नही जा पाती। 5. उच्च प्राथमिक विद्यालय का अधिक दूर होना जिसके कारण कक्षा 5 के बाद बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जाती है।
4.	चौबेपुर विकास खण्ड मुख्यालय 10.02.2001	अध्यापक–7, अधिकारी–2 गणमान्य व्यक्ति–7 ग्राम प्रधान–2 अभिभावक–7 (कुल–25)	1. बच्चों में ड्राप आउट खास तौर पर बालिकाओं में यह संख्या बहुत अधिक, यद्यपि यहां नामांकन अच्छा है। 2. सुयोग्य अध्यापकों का दल बनाया जाए जो समय समय पर अन्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य करें जिसमें महिला सदस्य भी हो। 3. बच्चों की सुरक्षा का प्रबन्ध हो खासकर बालिकाए विद्यालय में सुरक्षित महसूस नही करती उन्हें सुरक्षा दी जाये। 4. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। कार्यशालाए की जाये,उन्हें जागृत किया जाए ताकि ड्राप आउट कम हो सके।
5.	ग्राम–पतेहुरी विकास खण्ड–विधनू 13.02.2001	अधिकारी–1 गणमान्य व्यक्ति–7 ग्राम प्रधान–1 अनु. जाति – पुरूष–10 अनु. जाति – महिला–5	1. हरिजन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण बच्चे अपने माँ–बाप के साथ काम करते है। नामांकन तो करा लेते है। किन्तु नियमित रूप से विद्यालय नही जाते। सभी ने सहमति जतायी कि अभिभावकों में जागरूकता लायी जायें।

6.	गडोलामऊ वि0 खण्ड–घाटमपुर 14.02.2001	एस.डी.आई. ग्राम प्रधान पिछडी जाति के प्रतिनिधि, ग्राम शिक्षा समिति की महिला सदस्य अभिभावक (22)	1. यह पिछडा क्षेत्र होने के कारण शिक्षा विशेष तौर पर बालिका शिक्षा के प्रति उदासीनता है। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नही है और महिलाओं ने शिक्षा में भागीदारी की इच्छा जाहिर की किन्तु पुरूष उन्हें आगे नही आने देते। यहां बच्चों की ड्राप आउट दर अत्यधिक है। सुझाव आया की महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किया जाए।
7.	निराला नगर वार्ड नगर निगम–कानपुर 15.02.2001		1. विद्यालय की स्थिति सोचनीय है। भवन जर्जर अवस्था में है, अध्यापक नियमित रूप से नहीं आते है। विद्यालय ठीक से चलाया जाए अन्यथा बन्द कर दिया जाए।
8.	ककवन–विकास खण्ड मुख्यालय 18.02.2001	सदस्य क्षेत्र पंचायत बी.डी.ओ. स.बे.शि.अधिकारी ग्राम प्रधान महिला प्रधान (कुल 25)	1. सुदूर इलाका होने के कारण अध्यापक अपनी पोस्टिंग नही चाहते विद्यालय दूर – दूर है। बालिकाओं का नामांकन तथा धारण दोनों कम है। लोगों ने सुझाव दिया कि और स्कूल खोले जाये।
9.	तम्बौर वार्ड नगर निगम	अधिकारी–5 जनप्रतिनिधि–3 इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य–2 सदस्य न0नि0 शि0 सं0–11	1. परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों को निष्ठा पूर्वक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाए। 2. अधिकारियों द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाता रहे। 3. विद्यालय आकर्षण विहीन है। उन्हें आकर्षक बनाया जाए। 4. अध्यापक शिक्षण कार्य की अपेक्षा अपने व्यापार में लगे रहते है। इसे समाप्त कराया जाए तथा उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे विद्यालय न आने वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करें।
10.	चमनगंज, नगर निगम कानपुर	अधिकारी–1 अभिभावक–9 मुस्लिम सम्प्रदाय के अग्रज, सभासद्–5 (कुल 30)	1. विद्यालय दो पाली में चलाया जाये ताकि काम काजी बच्चें भी स्कूल में आ सके एवं उर्दू के अध्यापक भी हो।
11.	प्रहलाद का हाता मलिन बस्ती,	अधिकारी–2, प्रधानाचार्य–2	1. मलिन बस्ती में विद्यालय दो पाली में होना चाहिए। शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो।

11.	प्रहलाद का हाता मलिन बस्ती, कानपुर	अधिकारी–2, प्रधानाचार्य–2 गणमान्य व्यक्ति–4 सभासद–1 सामान्य नागरिक–5 महिलायें–6	1. मलिन बस्ती में विद्यालय दो पाली में होना चाहिए। शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो। ताकि उपयोगी/जागरूकता अभियान चलाया जाए।

सूक्ष्म नियोजन आंकड़ों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा तथा इनका उपयोग आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के समय ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायेगा।

सोशल एसेसमेंट स्टडी :–

कानपुर नगर में सोशल एसेसमेंट स्टडी जो डा0 (श्रीमती) राका सरन, आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा किया गया, से ज्ञात होता है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनके विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक एवं पारिवारिक कारण हैं, इनके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

1. अध्ययन से पता चलता है कि कानपुर में सभी वर्गों गरीब–अमीर, हिन्दू–मुसलमान, श्रमिक, किसान, और नौकरी पेशा की जनसंख्या से ड्रापआउट आया है। इसलिए ये केवल समाज के उपेक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि सभी के बीच से है।

2. विद्यालय छोड देने वाली अधिकाश बालिकायें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक होती हैं परन्तु कुछ सामाजिक कारणों अथवा विद्यालयों में अध्यापकों के प्रतिकूल व्यवहार, अलग शौचालयों का न होना तथा घर से विद्यालयों की दूरी आदि कारणों से उन्हें विद्यालय छोडने के लिए मजबूर होना पडता है।

3. ह्रास–अवरोध (ड्राप आउट) वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के माता–पिता विद्यालयों में बच्चों से निम्न स्तर के कार्य कराये जाने के कारण उन्हें विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। उनके माता–पिता ने अनुभव किया कि निम्न स्तर के कार्य करने से उनके बच्चे उच्च स्तर की अपेक्षा हीन सामाजिक स्थिति में पहुँच जायेंगे।

4. अभिभावक सहशिक्षा वाले विद्यालयों, जो जिले के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में लागू है, में अपनी लडकियों को भेजने में संकोच करते हैं। गॉवों में बच्चे बढती उम्र में विद्यालय जाना आरम्भ करते हैं और कक्षा–3 या 4 तक पहुँचते–पहुँचते वे 12–13 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मुस्लिम तथा कुछ रूढिवादी परिवार जैसे–यादव, लडकियों को लड़कों के साथ रहना पसन्द नहीं करते है। और इस प्रकार लडकियों को शिक्षा पूर्ण किये बिना ही रोक दिया जाता है। ग्रामीण, परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होते हैं। इसलिए 10–14 वर्ष की बालिकायें अधिक मात्रा में विद्यालय छोड देती हैं।

5. हमारी खोजों ने सुझाया कि कानपुर में विभिन्न अध्ययनों द्वारा सुझाये गये आर्थिक कारणों से बालिका ड्राप आउट प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, अधिकांश परिवारों में बालकों का विद्यालय जाना जारी रहता है जबकि बालिकाओं को विद्यालय जाने से रोक दिया जाता है। दूसरे, इन परिवारों की आय खर्च वहन कर सकने योग्य है क्योंकि इनकी आमदनी 1500 से 2800 रूपये प्रतिमाह की है इसलिए वे अपने लड़कों के साथ लडकियों को भी स्कूल भेज सकते हैं। यहॉ तक कि बेसिक शिक्षा परियोजना (बी0ई0डी0) में लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है, इसलिए लड़कियों के ड्रापआउट का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक मान्यतायें हैं, जिसके कारण लडकियों के अभिभावकों में इच्छा शक्ति का अभाव है।

6. स्कूल छोडने वाले लगभग 40 प्रतिशत बच्चों से यह पता चलता है कि उन्होंने घरेलू कार्यों अथवा मजबूरी के कारण विद्यालय छोडा है। इससे यह पता चलता है कि कार्य करने की उम्र पर पहुँचने पर बच्चों के माता–पिता उन्हें विद्यालय से हटा लेते हैं। बहुत से अभिभावकों ने बताया कि उनका अनुभव है कि शिक्षा का उनके लिए विशेष उपयोग नहीं है बल्कि घरेलू कार्यों में और आमदनी बढ़ाने वाले

कार्यों में बच्चों की आवश्यकता है। अभिभावकों ने अनुभव किया कि यदि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये तो यह उनके भविष्य के लिए अधिक उपयोगी होगी।

7. बहुत से बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि दूरी के कारण उनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जब एक दिन में बच्चों के द्वारा तय की गयी दूरी का हमने आंकलन किया तो यह पाया कि यह 3 या 4 किमी0 हो जाती है। 11–12 वर्ष के बच्चे के लिए यह दूरी तय करना कठिन कार्य है इसलिए अधिकांश संख्या में बच्चे पाँचवीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं।

8. बच्चों को पढ़ने–लिखने और रटने तक सीमित रखने वाली वर्तमान शिक्षा विधि भी ड्राप आउट का कारण है अध्ययन से पता चला कि कुल बच्चों में केवल 12 प्रतिशत बच्चे ही इस विधि से संतुष्ट हैं जबकि 88 प्रतिशत बच्चों को इस शिक्षण विधि से कठिनाई होती है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान शिक्षण विधि दोषपूर्ण है और यह भी ड्रापआउट को बढ़ावा दे रही है।

9. ड्राप आउट वाले बच्चों की कठिनाई का दूसरा कारण पाठ्य–पुस्तकों द्वारा कराये जाने/पढ़ाये जाने वाले कक्षा कार्य की है। ग्रामीण अंचलों से आने वाले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए कोई विशेष पाठ्य–पुस्तकें नहीं हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में वही पाठ्य–पुस्तकें पढ़ायी जाती हैं, जो राज्य सरकार के अन्य शहरी स्कूलों में पढ़ायी जाती हैं ये पाठ्य–पुस्तकें शहरी लोगों को ध्यान में रखकर लिखी गयी हैं। सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित वर्ग के बच्चे इन पुस्तकों को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अध्यापकों और अभिभावकों ने बताया कि विद्यार्थी इन पुस्तकों की भाषा समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। चूंकि ये पुस्तकें उनके सामाजिक वातावरण से मेल नहीं खाती हैं इसलिए ये बच्चों में रूचि पैदा करने में असमर्थ हैं। यह व्यर्थ की बात है कि इन विद्यालयों के बच्चे उपेक्षित और कृषक वर्ग से आते हैं, बल्कि पुस्तकें उन्हें उनकी योग्यता–क्षमता के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहीं है। बच्चों को दो तरह की दुनिया के बीच उलझना पड़ता है। एक, उनकी संस्कृति पर आधारित और दूसरी, शहरी संस्कृति पर आधारित। पुस्तकें अधिक मात्रा में शहर आधारित हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे विद्यालयीय शिक्षा से रूचि खो देते है।

10. विद्यालयीय पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया कलाप बच्चों को न केवल सामाजिक और बौद्धिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वे स्कूल के प्रति उनकी रूचि को बढ़ाते हैं एवं विधालय और समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि इन क्रिया कलापों में सहभागित्व विद्यार्थियों के सामाजिक कार्य व्यवहार के प्रकार पर भी निर्भर करता है। केवल 35 प्रतिशत विद्यार्थियों में बताया कि उन्होंने विद्यालय के आन्तरिक खेल–कूदों में भाग लिया जबकि 65 प्रतिशत विद्यार्थियों ने किसी भी प्रकार की क्रिया–कलाप में भाग लेने से वंचित बताया। इससे स्पष्ट होता है कि ड्राप आउट वाले अधिकांश बच्चे विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाकलापों, जिन्हें शिक्षा के साथ आवश्यक समझा गया से वंचित रहते हैं।

11. उल्लेखनीय है कि सोशल एसेसमेंट रटडी में निकाले गये कानपुर की शैक्षिक समस्याओं के विषय में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की रणनीतियाँ एवं कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.4 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नानांकन के लक्ष्य

जनपद – कानपुर–नगर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	332902	283584	616486	253006	215524	468529	76
2001-02	340892	290390	631282	293167	249735	542902	86
2002-03	349073	297359	646432	328129	279518	607646	94
2003-04	357451	304496	661947	364600	310586	675186	102
2004-05	366030	311804	677834	395312	336748	732060	108
2005-06	374814	319287	694102	419792	357602	777394	112
2006-07	383810	326950	710760	437543	372723	810266	114
2007-08	393021	334797	727818	455905	388364	844269	116
2008-09	402454	342832	745286	474896	404542	879437	118
2009-10	412113	351060	763173	494535	421272	915807	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – कानपुर–नगर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	138523	118001	256524	106663	90861	197523	77
2001-02	141848	120833	262681	116315	99083	215398	82
2002-03	145252	123733	268985	126369	107648	234017	87
2003-04	148738	126703	275441	135352	115299	250651	91
2004-05	152308	129743	282051	144692	123256	267949	95
2005-06	155963	132857	288820	154403	131529	285932	99
2006-07	159706	136046	295752	164497	140127	304625	103
2007-08	163539	139311	302850	173351	147670	321021	106
2008-09	167464	142654	310118	180861	154067	334928	108
2009-10	171483	146078	317561	188631	160686	349317	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	27
2001-02	24
2002-03	20
2003-04	16
2004-05	12
2005-06	8
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11479
Date 09-07-2002

अध्याय – 5
समस्यायें एवं रणनीति

जनपद के विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन के प्राप्त विचारों के विश्लेषणोंपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं संतुलित रणनीति बनाई गयी है। इससे छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती/नये भवनों का निर्माण, जीर्वशीण भवनों की मरम्मत, हैण्डपाइप एवं शौचालयों का निर्माण साज सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का निम्नवत प्रयास किया गया। सर्वशिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल के बाहर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सका और उनका ठहराव सुनिश्चित किया जा सकें।

समस्यायें	रणनीति
(अ) पहुँच :–	
आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।	सानाजिक चेतना उत्पन्न करना। जिससे बच्चों एवं उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन हो सके। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री/कार्यकर्ता, ए0एन0एम0 कलाजत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता एवं जागरूक नागरिकों के सहयोग के आपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।
शिक्षा के उपदेशता संदिग्ध है	उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे विद्यार्थियों को स्वावलम्बन एवं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो सके और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण आंचल की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में मेंहदी, फाईन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई निर्माण, जूट कपड़े के बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा। सिलाई शिक्षा के लिये मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
असेवित एवं मलिन बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	1.5 किमी. तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 कि0मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9 से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिए ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हें असेवित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुर्नस्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुर्नस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये (DUDA) एंव विकास प्राधिकरण (KDA) का सहयोग लिया जायेगा।

भौगोलिक कठनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा के अवरोध।	भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का आभाव जैसे– फर्नीचर, बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा–कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल एवं चहारदीवारी की कमी।	छात्रा संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालयों, चहारदीवारी की व्यवस्था नही है। वहां पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिये काष्ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ब) ठहराव :–

शिक्षा के प्रति अभिभावक, बच्चों में जागरूकता का अभाव। अभिभावक की सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुड़ें।	शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एकमात्र रोजगार उपलब्ध कराना। जब कि अभिभावक की सोच है कि उसका बच्चा पढ़–लिख कर नौकरी करें। यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच में सकारात्मक सोच पर बल दिया जायेगा।
बच्चों के व्यक्तित्व रूचि में कमी।	बच्चों को विद्यालय बोझिल न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा। जैसे खेल–खेल में सीखना, क्रियाशील आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, समय विज्ञान चक्र को अधिक उपयोगी और सार्थक बनाकर सभी विषयों में बच्चों में रूचि उत्पन्न करना, सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रियाकलापों का समायोजन एवं क्षेत्राभ्रमण आदि का समावेष्टित किया जायेगा।
शिक्षक की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में ह्रास	शिक्षक का छात्रों के प्रति मृदु व्यवहार हो, मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं में समन्वयन हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एवं विशिष्ट प्रभावोंत्पादक के रूप से प्रतिबिम्ब हो, इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा। शिक्षक को स्वाध्याय हेतु समय–समय पर प्रेरित किया जायेगा। जिससे उसके विषय वस्तु के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे तथा वह शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बना सकें। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में समावेशित किया जायेगा।

विद्यालय में छात्र सं0 के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की जायेगी। 40:1 के अनुपात पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय संचालित हो सकें। वहा उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही प्रबन्धतन्त्र का पूर्ण संचालन करें। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भली–भॉति परिचित होगें तथा अध्यापकों की कमी दूर होगी। इस प्रकार से हमें माध्यमिक शिक्षा के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगें।
अध्यापक से अपने विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों के कार्यो का निष्पादन कराया जाना।	अपरिहार्य परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से करायें जायें। जिससे उनके शैक्षणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा छात्रा प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर अपने कार्य को अपेक्षित महसूस न करें। अध्यापकों को पठन–पाठन के लिये पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों की प्रगति में अध्यापक की भागेदारी सुनिश्चित की जायेगी। कमजोर छात्रों की विद्यालय अवकाश के बाद शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। एम. एल.एल. को आधार नानकर अध्यापक की सेवा पंजिका में वार्षिक प्रविष्टी की जायेगी तथा प्रतिकूल प्रविष्टी पर वार्षिक वेतन वृद्धि को रोका जायेगा। इस प्रकार अध्यापक की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी।
विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना।	बच्चों कों समूहों में बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान से 6'X6" की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी। सहायक शिक्षण सामग्री (टी0एल0एम0) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी जो पाठ के अनुरूप होगी। इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा तथा अध्यापकों का शिक्षण कार्य प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रांगण में फूलो के पौधो, वृक्षारोपण, कृषि एवं बागवानी सम्बन्धी कार्य छात्रों से करायें जायेगें। जिससे शिक्षा में रूचि उत्पन्न होगी। प्रत्येक कक्षा के लिये खेलकूद का समय निर्धारित किया जायेगा। बच्चा घर पर न रहकर विद्यालय की ओर उन्मुख होगा। जब बच्चें में यह भावना जागृत हो जायेगी तो स्वतः ही ड्राप आउट की समस्या समाप्त हो जायेगी।
गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	कक्षा 1 से 8 तक के अनु. जाति/अनु.ज.जाति एवं समस्त छात्राओ को को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं।

(स) गुणवत्ता :–

अध्यापकों का छात्रानुपात/ मानक के अनुरूप न होना।	विद्यालय में अध्यापकों की कमी तथा अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अतः 40:1 के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापक प्रति विद्यालय प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों की कमी के फलस्वरूप विज्ञान,

	गणित, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत के शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिये गृहविज्ञान अध्यापकों का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।
अध्यापकों का विद्यालय में कम ठहराव	अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करें इसके लिए विभागीय सूचनाएं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी। तथा मात्र सूचनाओं के पुष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विधालयों को उपलब्ध करायी जायेगी । इससे अध्यापकों का बार–बार सूचनायें बनाने एवं उसे पहुँचाने में लगने वाला समय एवं श्रम कम होगा तथा विधालय में ठहराव बना रहेगा। विधालय सम्बन्धी सूचनाओं के लिए ई0एम0आई0ए0 में उपलब्ध आँकडों का प्रयोग किया जायेगा ।
अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा। समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण के उपरान्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में दक्षता रोक/वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी।
छात्रों के गणवेशों को उपेक्षित करना।	गणवेश के आभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन संभव नही है। साथ ही सामाजिक एकरूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत/नर्सरी विद्यालय के छात्रों का बाह्य व्यक्तित्व अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है। अतः स्वच्छ गणवेश छात्र के ब्राह्य व्यक्तित्व को और अधिक मुखरित करेगा। इस हेतु छात्र वृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकों को गणवेश तैयार करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।
अध्यापक, अभिभावकों एवं छात्रों में सामन्जस्य न होना।	अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सर्म्पक बना रहें इस हेतु त्रैमासिक त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेषकर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उनके विचारों/समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वर्ष में दो बार अभिभावकों को बच्चों की प्रगति के विषय में अवगत कराया जायेगा तथा कमजोर बच्चों के लिये निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
सतत् मूल्यांकन का अभाव	कोटिपूरक शिक्षा के लिये सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा। मूल्यांकन के पश्चात् कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन बच्चों की शिक्षण विद्या में भी मूल्यांकन को समावेदिष्ट कराया जायेगा। जैसे – शब्द/अर्थज्ञान, अन्ताक्षरी, पहाड़े, गिनती एवं विषय विशेष पर सामूहिक चर्चा आदि। प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए प्रथम, द्वितीय

	एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कृत कराया जायेगा।
शैक्षिक निरीक्षण / पर्यवेक्षण की कमी	एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयक, प्र.उप.वि.नि., स.बे.शि. अधिकारी एवं डायट अनिकर्मी एवं अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जायेगा। तद्नुसार विद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जायेगा और निम्न श्रेणी के विद्यालयों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये जायेगें। त्रिस्तरीय (विद्यालय–न्याय पंचायत–खण्ड संसाधन केन्द्र–डायट) पर्यवेक्षण कर शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का सकारात्मक निदान किया जायेगा।
सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव	अभिभावकों / ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो सकें कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारा बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और इसी से आने वाले समय में गॉव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरूक नागरिक बनेगें। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगी। माइक्रो प्लानिंग एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु गॉव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय परिवेश में सुधार हेतु गणवेश, स्वच्छता, अनुशासन, विद्यालय की बागवानी एवं साज सज्जा आदि कार्यों में समाज की सक्रिय सहभागिता ली जायेगी। अध्यापकों के अभाव में ग्राम के पढे–लिखे व्यक्तियों की मदद ली जायेगी। उन्हें व्यवस्था देखने एवं गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया जायेगा। गरीब बच्चो के लिए गणवेश, स्लेट, कापी, पंन्सिल तथा प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत करने हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।
विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर बस्तीवार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. को बच्चों के लिये उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भोजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकताओं वालों बच्चों के प्रति अध्यापकों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के बच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।
बाल श्रमिक तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	जनपद के वुड कार्विंग, होजरी, चमड़ा, चप्पल एवं अन्य व्यवसाय में लगे 6–14 वय वर्ग के बच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा। जिससे बच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश लें तथा शिक्षा पूर्ण करें। श्रम विभाग को सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर बच्चों को मुख्य धारा में उनकी योग्यता के परीक्षणोपरान्त जोड़ा जायेगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनपद की भविष्य में आने वाली शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये रणनीति बनायी जायेगी।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुँच में विस्तार – औपचारिक विद्यालय

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–11 एवं 11–14 वय–वर्ग के बच्चों को विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औपचारिक शिक्षा के सुदृढ़ीकृत हेतु संस्थागत विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं:–

नवीन प्राथमिक विधालय स्थापना :– राज्य सरकार के मानक के अनुसार नवीन प्राथमिक विधालय की स्थापना ऐसी असेवित ग्रामों/बस्तियों में प्रस्तावित हैं जिनकी आबादी 300 तथा दूरी 1.5 किमी0 अथवा इससे अधिक पर विद्यालय नहीं है। जनपद में कराई गयी जॉच के आधार पर 106 असेवित बस्तियों व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिसका विकास खण्डवार असेवित ग्राम/बस्तियों में दर्शाया गया है।

क्रम	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या
1.	कल्यानपुर	05
2.	विधनू	14
3.	सरसौल	10
4.	चौबेपुर	17
5.	शिवराजपुर	07
6.	बिल्हौर	05
7.	ककवन	07
8.	भीतरगांव	10
9.	पतारा	14
10.	घाटमपुर	17
11.	नगर निगम	00
	योग	106

उक्त असेवित ग्राम/बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में कराया जायेगा। प्रथम वर्ष में 56 विद्यालय तथा द्वितीय वर्ष में 50 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया जायेगा। जिससे असेवित ग्रामों/बस्तियों के बच्चों को विद्यालयी सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी तथा सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विधालयों की स्थापना :– मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियां जहाँ कुल आबादी 800 तथा दूरी 3 किमी0 पर विद्यालय नहीं है। उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें। जनपद में विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर 44 असेवित

ग्राम/बस्तियां, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नही है। सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा 8 तक की शिक्षा सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से दो प्राथमिक विद्यालय में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जो अधिक सुदृढ़ ढाँचे वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रांगड में होगा। सर्वशिक्षा के मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या निम्नवत होगी। **वर्ष 2002–2007 की अवधि में 30 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

विकास खण्डवार असेवित बस्तियां

क्रम	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तियों की संख्या	2:1 के आधार पर उच्च प्राथमिक विद्यालय	
1.	कल्यानपुर	00	1– कुल प्राथमिक विद्यालय	1444
2.	विधनू	05	2– प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	106
3.	सरसौल	04	3– योग	1550
4.	चौबेपुर	06	4– योग/2	775
5.	शिवराजपुर	02	5– उच्च प्राथमिक विद्यालय	292
6.	बिल्हौर	01	6– माध्यमिक विद्यालय	325
7.	ककवन	06	7– योग	617
8.	भीतरगांव	02	8– वांछित विद्यालय (4–7)	158
9.	पतारा	14		
10.	घाटमपुर	04		
11.	नगर निगम	00		
	योग	44		

विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में कराया जायेगा। विद्यालय निर्माण हेतु स्थल चयन ग्रान शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था, उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्वशिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगड में कराया जायेगा। जिसमें भूमि उपलब्ध होगी। जहाँ बच्चे सुविधापूर्वक विद्यालय पहुँच सकें। विद्यालय निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण भवन निर्माण करायेगी। जिसका तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता ग्रामीण सेवा द्वारा किया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुये की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। **वर्ष 2002–2007 की अवधि में 130 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का वित्तीय प्राविधान रखा गया है, जो मानक के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा–5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चे उपलब्ध हों, में खोले जायेंगे।**

शिक्षक व्यवस्था :– प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। जो उत्तरोत्तर छात्र संख्या के अनुपात में बढ़ायी जायेगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा 4 सहायक अध्यापक की व्यवस्था स्थापित हैं।

विद्यालय साज–सज्जा :– प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें टाट पट्टी, श्याम पट्ट, मेज कुर्सी, अध्यापकों के लिये अलमारी, सन्दूक, पंजिकायें, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेय जल, शौचालय एवं चहारदीवारी :– नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्थापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय प्रांगड कां सुरक्षित एवं सुसज्जित रखने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा।

निर्माण कार्यदायी संस्था :– सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समिति को सौपा गया है। जिसके अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों का निर्माण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा कराया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय–7

शिक्षा की पहुँच में विस्तार – वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा

संविधान के अन्तर्गत 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है। स्कूल रहित बस्तियों में रहने वाले बच्चे, बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे, पूरे समय स्कूल में न रहने वाले बच्चे तथा काम–काजी बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में चलने वाली सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। औपचारिक शिक्षा योजना के वर्तमान स्वरूप एवं उनके कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियाँ पाई गयीं।

अतः भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप को पुनरीक्षित कर इस योजना के स्थान पर शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0) तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना (ए0आई0ई0) के रूप में चलाये जाने का दिनांक 1–4–2000 से निर्णय लिया गया।

आगामी दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' का अंग होगी।

ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 कार्यक्रम का लक्ष्य समूह (6–14) वर्ष के बच्चे है। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

यह योजना मुख्यतः तीन भागों में विभाजित है:–

1. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्र एवं ब्रिज कोर्स एवं ग्रीष्मकालीन शिविरों के माध्यम से योजना का संचालन।
2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ई0जी0एस0 / ए0आई0ई0 केन्द्रों का संचालन करना।
3. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नवाचार एवं प्रयोगात्मक परियोजनायें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6–3 वय वर्ग के सभी बच्चों को प्रयास करके औपचारिक अथवा ई0जी0एस0 केन्द्रों में भरती कराया जायेगा।

वैकल्पिक / नवाचार शिक्षा कार्यक्रमः–

6–8 वय वर्ग के सभी बच्चों का औपचारिक अथवा ई0जी0एस0 केन्द्र में प्रवेश दिलाने के बाद ऐसे बच्चे जो 9–14 वय वर्ग के हैं–

1. जो पूर्व में विद्यालयों से ड्रापआउट हो चुके है।
2. अथवा कभी विद्यालयों में प्रविष्ट ही नहीं हुए है; ऐसे बच्चेः–

अ.) सड़क छाप ब.) घुमन्तू बच्चे स.) कामकाजी बच्चे

य.) लड़कियां र.) रूढ़िग्रस्त धर्मावलम्बी। द.) विकलांग बच्चे

ऐसे सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार केन्दों अल्पकालीन ग्रीष्म कालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिजकोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सम्प्रदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मदरसों में बालक/बालिका को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से भी इनके क्षेत्रों में भी ए0आई0ई0 योजना की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी–झोपड़ी, मलिन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से आच्छादित स्थलों आदि जहाँ पर 9–14 वय वर्ग के ड्रापआउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चे उपलब्ध होगें वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है।इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई जिस स्तर के बच्चे होगें पूर्ण कराकर औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा के प्राथमिक विद्यालय में किसी भी उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकेगा इसके लिए निकट के प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0 के प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी। जिससे ये बच्चे अतिशीघ्र मुख्य धारा में शिक्षा ग्रहण करना प्रारम्भ कर दें।

इस योजना के संचालन क लिए स्थल चयन हेतु बस्तियों एवं संख्या के चिन्हीकरण के लिए ग्राम/बस्ती/घर–घर सर्वे कराया जायेगा। सर्वे से प्राप्त रिर्पोट के आधार पर (माइक्रो प्लानिंग) ग्राम/बस्ती परक योजना तैयार की जायेगी। चूंकि अभी तक इस जनपद में माइक्रोप्लानिंग का कार्य पूर्ण नही हुआ है। इसलिए मई 2000 में करायी गयी बाल गणना के आधार पर विकास खण्ड स्तर पर तथा नगर क्षेत्र हेतु ऐसे बच्चों की सूचना संकलित की गयी जो स्कूल के बाहर है। ऐसे बच्चों का वय वर्ग तथा श्रेणीवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है।

कुल पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या आयु वर्गानुसार

वर्ग	6–11 वय वर्ग कुल बच्चे			11–14 वय वर्ग कुल बच्चे		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनु जाति	77402	71448	148850	46501	42809	89310
पिछड़ी	103203	95265	108468	62001	57080	119081
अल्प संख्यक	25801	23817	49618	15500	14270	29770
अन्य	51602	47632	99234	31001	28540	59541
योग	258008	238162	496170	155003	142099	297702

आयु वर्गानुसार कुल पढ़ने योग्य बच्चों की संख्या (6–8 वय वर्ग के)

6–11 वय वर्ग कुल बच्चे			6–11 के स्कूल जाने वाले बच्चे			6–8 वय वर्ग कुल बच्चे		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
258008	238162	496170	244837	224704	469541	47935	89882	137817

9–14 वय वर्ग

वर्ग	कुल बच्चे					विद्यालय न जाने वाले बच्चे				
	अनु.जा.	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग	अनु.जा.	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	43810	87621	21905	65716	219052	5751	11502	2876	8626	28755
बालिका	40105	80211	20053	60158	200527	5598	11196	2799	8397	27990
योग	83915	167832	41958	125874	419579	11349	22698	5675	17023	56745

कामकाजी बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	55	–	64	72	39	230
बालिका	18	–	03	04	07	32
योग	73	–	67	76	46	262

सड़क छाप बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	18	–	07	27	51	103
बालिका	02	–	01	–	05	08
योग	20	–	08	27	56	111

विकलांग बच्चे

वर्ग	अनु.जा.	अनु. जनजाति	पिछड़ी	अल्प.	अन्य	योग
बालक	268	–	289	172	289	1018
बालिका	106	–	301	189	183	779
योग	374	–	590	361	272	1797

ए.आई.ई. मे नामांकन हेतु पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14)

क्रम	व्यवसाय जिसमें बच्चे अपने अभिभावक के मददगार है	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों की जनसंख्या/ प्रतिशत	व्यवसाय में मदद करने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल जाने वाले बच्चों की सं0			स्कूल न जाने वाले बच्चों की सं0		
			B.	G.	T.	B.	G.	T.
1.	कृषि	80%	175242	160422	335664	23004	22392	45396
2.	पशुपालन	10%	21905	20053	41958	2875	2799	5674
3.	दुकानदारी	05%	10953	10026	20979	1438	1399	2837
4.	कुम्हार	01%	2190	2004	4194	287	280	567
5.	बढ़ई	01%	2192	2006	4198	289	279	568
6.	दर्जी	01%	2192	2005	4197	288	281	569
7.	अन्य	02%	4378	4011	8389	574	560	1134

PRASHANT

उद्योगों/लघु उद्योगों/कुटीर उद्योगों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत बच्चों का विवरण

ए.आई.ई. मे नामांकन हेतु 31.12.2000 की स्थिति

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : प्रपत्र – 1 जनपद–कानपुर नगर

क्रम	उद्योग का नाम व प्रकृति	ग्राम/बस्ती जहां उद्योग स्थित है।	उद्योगों से सम्बद्ध 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल जाने वाले बच्चों की सं0			स्कूल न जाने वाले बच्चों की सं0		
			B.	G.	T.	B.	G.	T.
1.	खतरनाक	ग्रामीण क्षेत्र	–	–	–	19	–	19
		नगर क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
2.	गैर खतरनाक	ग्रामीण क्षेत्र	–	–	–	38	–	38
		नगर क्षेत्र	–	–	–	768	–	768

ए.आई.ई. योजना हेतु विशिष्टता के आधार पर चिन्हित स्थलों का विवरण

स्कूल न जाने वाले 9–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या 31.12.2000

विकास खण्ड/नगर क्षेत्र का नाम : जनपद–कानपुर नगर

शाला त्यागी बहुल क्षेत्रों के नाम				बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र/बस्ती			कानकाजी बहुलता वाले क्षेत्र		
वि0ख0 का नाम	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक	15–25 बच्चे उपलब्ध	25–50 बच्चे उपलब्ध	50 से अधिक
कल्यानपुर	03	02	–	–	–	–	–	–	–
विधनू	10	04	–	–	–	–	–	–	–
सरसौल	18	09	–	–	–	–	–	–	–
चौबेपुर	03	07	–	–	–	–	–	–	–
शिवराजपुर	08	16	–	–	–	–	–	–	–
बिल्हौर	29	08	–	–	–	–	–	–	–
ककवन	15	21	–	–	–	–	–	–	–
भीतरगांव	02	04	–	–	–	–	–	–	–
पतारा	01	05	–	–	–	–	–	–	–
घाटमपुर	02	12	–	–	–	–	–	–	–
नगर क्षेत्र	56	63	58	–	–	–	–	–	–

ऐसे सभी बच्चों को विभिन्न माध्यमों से प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न योजनायें चलायी जायेगी।

1. **ब्रिजकोर्स /ग्रीष्मकालीन शिविर :–** सड़क/प्लेटफार्म/मलिन बस्तियों/दुकानों/घूमन्तु बच्चो/नौकरी पेशा/कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है अथवा बाल श्रमिक है, खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों जिनका वय वर्ग सामान्यत 9–14 है, के लिए ब्रिज कोर्स / ग्रीष्म कालीन शिविर संचालित किये जायेंगे। इन ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहें इन बच्चों को औपचारिक विद्यालय में लाने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह की हो सकती है।

PRASHANT

प्रत्येक एक ग्रीष्मकालीन शिविर में न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेगें। यह शिविर/आवासीय होंगे, इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने–पीने एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। इनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया जायेगा। इनकी लागत प्राइमरी/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत से कुछ अधिक हो सकती है। परन्तु प्रति छात्र 9000 रूपये से अधिक नहीं होगी। आवासीय सुविधा यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये। तो उसे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अथवा किराये की व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त एक केयरटेकर, दो पैरा टीचर, एक कुक होगें।

विभिन्न प्रकार के ब्रिज कोर्स

1. 5–8 वय वर्ग – प्रारम्भिक शिक्षा की तैयारी के लिये 60–75 दिन का, जिसमें एक अध्यापक औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की तैयारी कराकर उन्हें अगले सत्र में प्रवेश दिलावे।

2. 7–9 वय वर्ग – जो कहीं भी प्रविष्ट नहीं है अथवा स्कूल से ड्रा.आ. 2–4 माह का कोर्स औपचारिक विद्यालय के प्र. अ. की देखरेख में ऐसे बच्चों को उचित कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार करने हेतु एक पैरा टीचर द्वारा चलाया जाता है। गैर आवासीय होगा।

3. 9–11 वय वर्ग – कामकाजी बच्चे 4–6 माह की अवधि का आवासीय कैम्प होता है औपचारिक विद्यालयों से अलग स्थानों पर चलाये जाते है। बच्चे एवं कैम्प चलाने वाले सभी पूरे समय कैम्प में रहते है। कैम्प की समाप्ति के बाद बच्चे कक्षा 5 की सामान्य परीक्षा सम्मिलित होते है तथा अगले सत्र में कक्षा 6 में प्रवेश लेते है।

4. 12–14 वय वर्ग – कामकाजी बच्चे 12–18 माह के आवासीय कैम्प होते है यहा बच्चे 7–8 की परीक्षा में बैठते है तथा परीक्षा के समाप्ति के बाद यह हॉस्टल ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई जारी कर सकते है अथवा आई.टी.आई ज्वाइन रहते है।

5. 9–14 वय वर्ग – जो कहीं भी प्रविष्ट नहीं है अथवा स्कूल से ड्रा.आ. 12–18 माह के बालिकाओं हेतु आवासीय कैम्प होते है। कक्षा 7, 8 की परीक्षा में बैठाया जाता है तथा जीवनोपयोगी कला कौशल सिखलाये जाते है।

अल्प आवासीय घर/हाफ वे होम्स :– सड़क छाप बच्चों, घुमन्तू बच्चों के लिए जहां पर उन्हे खाने, रहने, स्वास्थ्य एवं सलाह का स्कूली शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था होती है। यह प्लेटफार्म, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के करीब चलाये जाते है। भावनात्मक सहायता भी दी जाती है।

रेमैडियल टीचिंग :– औपचारिक विद्यालयों में सन्योजित करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है।

बालिका सम्पर्क केन्द्र :– शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है एवं समूह में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

मकतब एवं मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना :– इसमें मकतब/मदरसों में धार्मिक बच्चों को औपचारिक विद्यालयों की स्वीकृति शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्रिज कोष चलाकर तैयार किया जाता है अथवा मकतब/मदरसों में उन्हीं के सम्दाय से एक अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था करते है।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उन विशेष स्थानों का चयन किया जावेगा।

1. जिनमें महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है।
2. स्कूलों में लड़कियों का नामांकन सबसे कम है।
3. अल्पसंख्यक, अनु.जाति, पिछडी महिलाओं की संख्या अधिक है।
4. जहां महिला कार्य क्षेत्र आसानी से सुलभ है।

बाल सुरक्षा गृह :– ऐसी बालिकायें जो अपने छोटे भाई–बहनों की देखरेख करने के कारण स्कूल नही जाती है। उनके भाई बहनों के लिए ऐसे बाल सुरक्षा गृहों की स्थापना की जाती है। जहां 1 से 6 वर्ष के बच्चों की देख–रेख की जाती है।

बाल घर :– 5–7 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए औपचारिक स्कूलों में भर्ती करने के उद्देश्य से चलाये जाते है।

इन स्थानों पर योजनायें चलाने के लिए स्कूल के अन्दर एवं स्कूल की बाहर की समस्याओं के लिए विभिन्न प्रकार का सर्वे कराकर लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की जायेगी।

1. पहुँच का विस्तार :– नये स्कूलों की स्थापना करके
2. स्कूली सुविधाओं का विस्तार :– शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराकर।
3. ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्र चलाकर।
4. मलिन बस्तियों में 10–12 माह के शिविर चलाकर।
5. कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करके (15 बालिकाओं हेतु) एक कौशल विकास केन्द्र की निम्न लागत होगी। (क) शिक्षण सहायक सामग्री–1500, (ख) अनुश्रवक का मानदेय–72000, (ग) आकस्मिक–20 हजार, (घ) कौशल विकास इन्स्ट्रक्टर – 2160, (ड़) प्रशिक्षण–1000, (च) सामग्री–2400 (छ) यूनिट दर – 1084

हमारी नर्सरी :– समय 3 से 6 माह प्रवेश से पूर्व कक्षा 1, 2, 3 में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से चलाये जाते है। (20–30 छात्र)

25×100	=	2500 – टी.एल.एम.	2000 – विविध व्यय
		1500 – शिक्षण सामग्री	500 – खिलौने
		2400 – इन्सट्रेक्टर	1000 – प्रशिक्षण
		396 – यूनिट दर	

अतिरिक्त शिक्षण कक्षायें :– ऐसे स्थानों पर जहां अनु. जाति, अनु. जनजाति, अल्प संख्यक, जाति की बालिकाए उपलब्ध है।

Early Child Hood Education : आंगनवाड़ी केन्द्रों को ही अतिरिक्त मानदेय एवं सामग्री देकर 3–6 वर्ष वर्ग के बच्चों को 0–3 वर्ष के बच्चों को एक साथ रखकर व्यवस्था की जायेगी यथा

1. अतिरिक्त मानदेय – 250/125 प्रतिमाह, 2– सामग्री एवं खिलौने – 5000 प्रति केन्द्र
3. विविध व्यय – 1500

विशेष वर्ग की शिक्षा – समेकित शिक्षा :– समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विविध विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है।

विकलांगता /अक्षमता के प्रकार :–

1. दृष्टि विकलांगता
2. श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3. मानसिक मन्दता
4. अधिगम मन्दता
5. अस्थि विकार विकलांगता

विकलांगता / अक्षमता के कारण :– बच्चों में कुछ विकलांगताये / अक्षमताये जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चों की अधिगन अक्षमता के कारण निम्न हो सकते है।

1. बौद्धिक क्रियाकलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्द गति।
2. देखने एवं बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या न होना, अंगो की विकृति, मांसपेशियों में ताल–मेल न होने से क्रिया कलाप में कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति विषयक समस्यायें।
5. दृष्टि तथा अंगों में ताल मेल न होना।
6. कुछ कारण बच्चों के घर–परिवार व विद्यालय से सम्बन्धित होते है।
   - क– माता पिता के स्नेह की कमी।
   - ख– बच्चों को हीन भावना से देखना।
   - ग– सीखने का समान अवसर न मिलना।
   - घ– शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
   - ड– शिक्षक का बच्चों से कम लगाव।
   - च– सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम :–

1. बच्चों में :–
   - क– आत्म निर्भरता की कमी
   - ख– चलने में परेशानी
   - ग– समाज में उपेक्षित

2. परिदार में :–

क– अधिक ध्यान देने की आवश्यकता।

ख– आर्थिक बोझ अधिक होना।

3. समाज में :–

क– ध्यान देने की आवश्यकता।

ख– उत्पादन में कमी।

ग– समाज के एकीकरण में कमी।

4. संवेदीकरण :–

क– समुदाय का

ख– परिवार एवं भाई बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग दर्शन

ग– अध्यापकों का संवेदीकरण।

1. ऐसे बच्चो की विशेष व्यवस्था एवं शिक्षा के लिए शिक्षकों के सेवा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जाता है। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विद्या पर बल दिया गया है। समेकित शिक्षा के लिए प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन की प्रशिक्षण व्यवस्था है। इन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति विकास खण्ड 4–4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया है। इस प्रकार 44 मास्टर ट्रेनर्स– इनकास प्रशिक्षण 10 दिवसीय एडवान्स स्टडी इन स्पेशल एजुकेशन, रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एण्ड रिर्सच सेन्टर, कडकडडूमा विकास मार्ग, दिल्ली एवं विकलांग केन्द्र रूरल रिसर्च सोसाइटी 13– लूथरगंज, इलाहाबाद में किया जाना है।

2. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास – शिक्षकों द्वारा हस्त पुस्तिका का विकास किया गया है तथा पांच विकलांगताओं दृष्टि, श्रृव्य, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर तैयार किये गये है। "जन समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या सकते हैं" फोल्डर विकसित किया गया है। विकलांग बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा तीन की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दोस्ती नामक पाठ् सम्मिलित किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल में विकलांगता शामिल किया गया है।

ई.जी.एस./ए.आई.ई केन्द्रो की व्यवस्था एवं संचालन

ग्राम शिक्षा समिति – अनुश्रवण एवं संचालन

1– अध्यक्ष – उप ग्राम प्रधान

2– प्रधानाध्यापक – सचिव/सदस्य

3– सदस्य – महिला

4– सदस्य – अनुसूचित

5– सदस्य – पिछडा वर्ग

6– सदस्य – पुरूष

7– अभिभावक – अधिक

8– अभिभावक – कमजोर

ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव बनाकर ब्लाक शिक्षा समिति को प्रस्तुत करेगी

ब्लाक शिक्षा समिति :–

1–	अध्यक्ष	–	क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष
2–	सचिव	–	ए.बी.एस.ए./ एस.डी.आई.
3–	सदस्य	–	वरिष्ठ ग्राम प्रधान
4–	सदस्य	–	वरिष्ठ प्रधानाध्यापक

यह समिति प्रस्तावों की समीक्षा कर प्रस्तावों का संकलन कर अपनी संस्तुति सहित बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिसे सर्व शिक्षा अभियान संचालन समिति कहा गया हैं, को बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रस्तुत करेगा।

जिला स्तरीय समिति :–

1–	अध्यक्ष	–	जिलाधिकारी
2–	सदस्य/सचिव	–	बेसिक शिक्षा अधिकारी
3–	सदस्य	–	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
4–	सदस्य	–	जिला स्तरीय श्रम विभाग का अधिकारी
5–	सदस्य	–	जिला पंचायत राज्य अधिकारी
6–	सदस्य	–	वित्त एवं लेखाधिकारी
7–	सदस्य	–	स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि – 2, जिलाधिकारी द्वारा नामांकित

इस समिति का दायित्व प्रस्ताव तैयार करना एवं कार्यक्रम का संचालन करने का होगा। यह समिति स्वंय सेवी संगठनों को भी कार्यक्रम संचालन की अनुमति दे सकती हैं परन्तु शासन एवं एन.जी.ओ. के कार्यक्रम ओवरलैप न हो।

जिस क्षेत्र विशेष में वैकल्पिक एवं नवाचार केन्द्र खोलने की आवश्यकता हो। उस क्षेत्र विशेष का प्रस्ताव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव करते समय निम्न क्षेत्रो को विशेष प्राथमिकता दी गयी है :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र।
2. बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम हो।
3. ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।
4. ऐसे क्षेत्र जहां सड़क छाप, बाल श्रमिक एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।
5. ऐसे क्षेत्र जहां प्राथमिक विद्यालय/शिक्षा गारन्टी योजना के विद्यालय न हो।

केन्द्रों का संचालन स्थल ग्राम शिक्षा समिति की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा, किसी विवाद रहित स्थान पर होगा, जो पहुँच की दृष्टि से पूर्व सन्दर्भित वर्ग के बच्चों के उपयुक्त होगा।

केन्द्र संचालन का समय :– विशेष परिस्थितियों को छोडकर केन्द्रों का संचालन समय देर शाम एवं रात्रि को नही रखा जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घन्टे संचालित किये जायेगे। 1 घन्टा अतिरिक्त समय अनुदेशक को देना होगा। जिसमें वह टी.एल.एम. तैयार करेंगा तथा प्रचार प्रसार कार्य करेगा।

अनुदेशक का चयन :– अनुदेशक यथासंभव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गांव का व्यक्ति आवेदन करेगा।अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति हाई स्कूल के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठता के आधार पर करेगी। नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा अधीक्षक/सम्बन्धित क्षेत्र का सभासद/नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसे में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने के स्थिति में मकतब/मदरसें में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम न हो, चयनित करने का अधिकार होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक है तथा आयु 21 वर्ष जहां पर स्नातक उपलब्ध न हो। वहां इण्टर उर्त्तीण महिला का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक का मानदेय :– 1000 रूपये प्रतिमाह ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते द्वारा चेक के माध्यम से, नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से चेक नगर शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

अनुदेशक का प्रशिक्षण :– 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र में किया जायेगा। कोई मानदेय देय नहीं है। 1500 प्रति अनुदेशक की दर से खर्च किया जायेगा। प्रत्येक माह न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में एक दिवसीय बैठक में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पर्यवेक्षण :– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत ससांधन केन्द्र द्वारा किया जायेगा। नगर क्षेत्र में पर्यवेक्षण नगर शिक्षा अधिकारी तथा सी.आर.सी. द्वारा किया जायेगा। विकास खण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा भी पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा।

निःशुल्क सामग्री वितरण :– प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा समिति के खाते में सीधे हस्तानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री का बाजार मूल्य का नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशक को उपलब्ध करायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामाकिंत सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध करायेगा। इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मत से किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन :– अनुदेशकों द्वारा वैकल्पिक शिक्षा कंन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही/छमाही/वार्षिक मूल्यांकन मौखिक एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यह अनुदेशक का दायित्व होगा कि वह मुख्य धारा में शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश दिला दे।

अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति/ विकास खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशक द्वारा बच्चों के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर में आये सुधार के सम्बन्ध में अभिभावकों एवं शिक्षा समिति को लगातार अवगत करायें। वार्षिक परीक्षा पास के प्रधानाध्यापक द्वारा ली जायेगी।

वित्तीय मानक

प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए 845.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष एवं अपर प्राइमरी स्तर के केन्द्रों के लिए 1200.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष होगा।

क्र0	अनुदेशक का मानदेय	प्राथमिक केन्द्र	अपर प्राथमिक केन्द्र
1.	अनुदेशक का मानदेय	1000/–प्र0मा0प्र0अनु0	2000/–प्र0मा0दो अनुदेशकों के लिए 1000/–प्रति अनुदेशक
2.	अनुदेशक प्रशिक्षण	1500/–प्रतिवर्ष 30 दिनों के लिए 50/–प्रति दिन	4000/–प्रतिवर्ष दो अनुदेशक 40 दिनों के लिए 50/–प्रति दिन
3.	बच्चों की शिक्षण सामग्री	100/–प्रति छात्र/छात्रा	150/–प्रति छात्र/छात्रा
4.	केन्द्रों की शिक्षण सामग्री	1100/–प्रति केन्द्र	1200/–प्रति केन्द्र
5.	केन्द्र आकस्मिक निधि	468.75/–प्रति केन्द्र	500/–प्रति केन्द्र

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत होगी:–

1. 80–100 केन्द्रों के मध्य – 2.50 लाख प्रति वर्ष
2. 50–80 केन्द्रों के मध्य – 2.00 लाख प्रति वर्ष
3. 50–25 केन्द्रों के मध्य – 1.50 लाख प्रति वर्ष
4. 25 से कम केन्द्रों के मध्य – 1.00 लाख प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिए किसी भी दशा में 3,000रू0 प्रति छात्र/छात्रा से अधिक न हो।

ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका:–

1. 6–14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु वातावरण तैयार करना।
3. अनुदेशक का चयन।
4. केन्द्रों का समय निर्धारित करना।
5. केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार से निर्धारित मूल्यों पर नियमानुसार क्रयकर केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
6. अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त केन्द्रों का दायित्व सौंपना।
7. अनुदेशकों की उपस्थिति,बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्रों के प्रबन्धन उनका प्रतिदिन निरीक्षण करना।
8. केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।
9. नियमित रूप से अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका:–

1. ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रो प्लानिंग कराना तथा उपलब्ध का अध्ययन एवं समीक्षा करना व प्रस्तावों को तैयार करना।
3. क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स (सी0आर0पी0) की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण–अनुश्रवण करना।
4. जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व:–

1. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रो प्लानिंग कराकर आवश्यकतानुसार अप–वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर समीक्षा करना।
2. केन्द्र/ब्रिजकोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर के प्रस्तावों को स्टेट सोसायटी को प्रस्तुत करना।
3. कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
4. अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहयोग कर कार्यक्रम संचालित करना।
5. कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एंव प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।
6. स्टेट सोसायटी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मद–वार धनराशियों को विकास खण्ड स्तरीय समितियो के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति, स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रम संचालनार्थ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना।

ग्रीष्म कालीन शिविर

क्र० सं०	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–11 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे		
		पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13458	26629

बाल घर

क्र० सं०	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–8 वय वर्ग के बच्चे		
		पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	29381	26964	56345

ई०जी०एस० केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			परिषदीय/ मान्यता विद्यालय का नाम एवं दूरी
		पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	पु०	म०	योग	
		2080622	1888740	3969362	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13458	26629	

ए0आई0ई0 केन्द्रों की सूची (प्राथमिक स्तर)

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			6–11 कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले 6–11 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे			परिषदीय/ मान्यता विधालय का नाम एवं दूरी
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	
		2080622	1888740	3969362	258008	238162	496170	244837	224704	469541	13171	13171	26629	

ए0आई0ई0 केन्द्रों की सूची (उच्च प्रा0स्तर 11–14 वय वर्ग)

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			11–14 कुल संख्या			पढ़ने जाने वाले 11–14 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे			परिषदीय/ मान्यता विधालय का नाम एवं दूरी
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	
		2080622	1888740	3969362	155003	122699	297702	120249	109508	229757	34754	33191	66945	

ब्रिज कोर्स केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0	नाम बस्ती ग्रामसभा पंचायत न्याय पंचायत/ ब्लाक	कुल आबादी			अनुसूचित जाति			कुल 6–14 वय वर्ग के बच्चे			स्कूल जाने वाले बच्चे			स्कूल न जाने वाले बच्चे	
		पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0	योग	पु0	म0
		2080622	1888740	3969362	345499	311388	656887	413011	380861	793872	365086	334212	699298	47925	46650

कार्यक्रम की सफलता एवं संचालन की व्यवस्था

1. सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम/बस्ती स्तर पर विचार विभिन्न समूहों से किया गया:–
   1. महिला समूहों से
   2. अनु.जाति/अनु.जनजाति बहुल महिला/पुरूष समूहों से
   3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों से
   4. ग्राम प्रधानों से
   5. विभिन्न समूहों के नेतृत्व से
   6. एन0जी0ओ0 से
   7. क्षेत्र पंचायत से
   8. जिला पंचायत से
   9. जिला स्तरीय अधिकारियों से (प्रशासनिक)
   10. जिला स्तरीय विभागीय संघों एवं अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया।
2. ग्राम स्तरीय/बस्ती से सम्बन्धित सूचनायें विभिन्न स्तरों से संकलित की गयी। घर–घर सर्वे कराना प्रस्तावित है।
3. ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत से प्रस्ताव लेकर जिला स्तर पर जाँच एवं जिला योजना तैयार की।
4. बस्ती विशेष की योजना पर विचार विमर्श ग्राम सभा में, फिर ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव बनाकर ब्लाक समिति के माध्यम से जिला समिति।
5. अनुदेशक/स्थल चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ही होगा।
6. समुदाय से एग्रीमेंट लिया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था

प्रत्येक ब्लाक स्तरीय विद्यालय एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होगी जो सूचना तंत्र को विकसित करने के लिए होगा:–

1. (एम0आई0एस0) तथा शिक्षा में सुधार के लिए सी0डी0 तैयार करने के लिए व्यवस्था होगी।
2. कम्प्यूटर के प्रयोग से अध्यापकों की संख्या में भी कमी आ सकती है।
3. भाषा के शिक्षण में भी प्रयोग किया जा सकता है।
4. शिक्षण कार्य में अध्यापक की मदद करेगा।
5. छात्र की दक्षता में वृद्धि होगी।
6. एन0ई0एफ0 में
7. समुदाय की शिक्षा के लिए भी प्रयुक्त होगा।
8. बच्चों में स्वयं सीखने की प्रवृति जागृत होगी।

प्रबन्धन एवं कीमत

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय में इसकी व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण में जिला एवं डायट लिये जायेंगें जहाँ पर भवन एवं स्थान की पूर्ण व्यवस्था होगी। दूसरे चरण में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र के भवन बन जाने पर तथा बिजली की व्यवस्था हो जाने पर व्यवस्था की जायेगी। प्रथम चरण में साफ्टवेयर सी०डी० के साथ उपलब्ध कराई जायेगी बाद में इन्टरनेट से भी जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी।

अध्यापको / छात्रों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण:–इसका प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दिया जायेगा जिसमें 2 अध्यापक एवं 5 छात्र (कक्षा 4–8 के) 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सम्मिलित होगें (30 के बैच में) जिसके लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करने के लिए प्राइवेट कम्पनी से सहयोग लिया जायेगा। रिफ्रेशर कोर्स 2–3 घण्टे का दिया जायेगा।

हार्डवेयर कम्प्यूटर

1.	(बिना इन्टरनेट कनेक्शन के)		
	Intel Celeron 500 mhz.		
	64 MB RAM 10 GB Hard Disk.		
	1.44 MB FDD 15 Colour Monitor.		
	Key Board Joy Stick Mouse		
	52 x CD Drive Sound Card		
	Ampligied Speackers	-	32,500.00
	UPS (with Battery) Four Hour Backup	-	16,000.00
	MODEM 56-6 KOPS (internal)	-	1,450.00
	REMOTE AREA Maintainance (Annual)	-	2,500.00
2.	Brick housing with doors, windows & racks	-	10,000.00
3.	SolarOLAR Pannel (at least 3 pannel are required)	-	20,000.00
	including installation.		
4.	SOFTWARE	-	15.000.00
	TOTAL COST PER UNIT	-	**1,00,000.00**

including miscellaneous management cost's.

राज्य सरकार प्रत्येक विद्यालय को निःशुल्क

1.टेलीफोन

2.इन्टरनेट कनेक्शन

3.रिकरिंग फास्ट टेलीफोन, प्रदान करेगी।

DIET

... III 256 MB RAM	-	1,00,000.00	- 1
... GB HDD FDD CDD			
...mputer Modes	-	40,000.00	- 1
... II 64 MB RAM			
... GB HDD FDD			
...S 1 KVA Online	-	36,000.00	- 1
...sel Generator 5 KVA	-	22,000.00	- 1
...ojector	-	3,000.00	
...OFTWARE	-	50,000.00	
...rniture	-	1,25,000.00	
		7,500.00	
		7,42,000.00	

<u>...ई0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता</u>

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों को ...विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्क ... अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजन कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपर्युक्त ...ये गये स्वयं सेवी संगठनो के कार्यक्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ... जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001.–2002 दिनांक 15 जून 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। संदर्भित कार्यालय की प्रति परिशिष्ट में दी गयी है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001. 2002 दिनांक 07 जून 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गयी है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन को सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ए0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के धिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजूकेशन गारण्टी स्कीम एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनो/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गयी है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यतनीकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अन्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के
66945 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय - 8

उन्नयन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम

अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुनर्निर्माण, नवीन भवन आदि के निर्माण मे परियोजना की उपलब्धियाँ :-

प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु केन्द्र/प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाये संचालित की गई परन्तु कानपुर नगर उनमें से किसी योजना के अन्तर्गत नही रहा। अतः उपर्युक्त सम्पूर्ण कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्ण कराये जायेगें।

1. अतिरिक्त कक्षाकक्ष :

जनपद मे छात्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप छात्र-अध्यापक 40:1 अनुपात पर कुल परिषदीय नामांकन के सापेक्ष वांछित शिक्षक 4221, स्वीकृत शिक्षक 3027, अतिरिक्त वांछित शिक्षक 4941 इसमें नवीन प्राथमिक विद्यालयों को छोड़कर शेष 1088 शिक्षकों के लिए इतने ही अर्थात 1088 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। **वर्ष 2002-2007 की अवधि में 1481 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रख गया है।**

सारणी 2.9

प्राथमिक स्तर

क्रम सं0	कुल परि0 नामांकन	40:1 के मानक में कुल वांछित अध्यापक	स्वीकृत शिक्षक	अति0 वांछित शिक्षक	नवीन विद्यालयों को छोड़कर	अति0 वांछित शिक्षक	अतिरिक्त कक्षाकक्ष
1.	168852	4221	3027	1194	1194-106 =1088	1088	1088

उच्च प्राथमिक स्तर

उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे 633 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण प्रस्तावित है।

2. अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था :-

छात्र नामांकन में वृद्धि के फलस्वरूप 2000-2010 तक कुल 1650 प्राथमिक विद्यालय-अध्यापक एवं 1645 शिक्षा मित्रों की आवश्यकता होगी जैसा कि सारणी 1 में दर्शाया गया है। **वर्ष 2002-2007 की अवधि में 1327 अतिरिक्त शिक्षकों/ शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

3. शौचालयों की व्यवस्था करना :-

क- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों मे अवशेष 728 शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी।

ख- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयो मे अवशेष 128 शौचालयों की व्यवस्था की जायेगी। **वर्ष 2002-2007 की अवधि में 856 शौचालयें का निर्माण कराया जायेगा।**

4. **भवन पुनर्निमाण कराना** – जनपद में जर्जर भवनों वाले विद्यालय भवनों का पुननिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है जो इस प्रकार है।

क– प्राथमिक विद्यालय – 64

ख– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 02

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 64 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

5. **पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना** :–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों में निम्नवत् पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी :–

क– प्राथमिक विद्यालय – 79

ख– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 12

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 70 हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

6. **चहारदीवारी निर्माण बालिका विद्यालयद्ध** :– अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी रहित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण भी प्रस्तावित है। विवरण निम्नवत है।

1– प्राथमिक विद्यालय – 943

2– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 195

जिसमें केवल 450 विद्यालयों हेतु प्रस्तावित है।

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा। **सर्व शिक्षाअभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।**

7. विद्यालय मरम्मत :– जनपद में 133 प्राथमिक विद्यालय तथा 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 107 प्राथमिक विद्यालय तथा 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा। **वर्ष 2002–2007 की अवधि में 159 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा 118 में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

8. **विद्यालय विकास हेतु अनुदान** :– विद्यालय को आकर्षक विकासोन्मुख संख्या के रूप में विकसित करने के लिये प्रति –

1– प्राथमिक विद्यालय – 2000 रू0

2– उच्च प्राथमिक विद्यालय – 4000 रू0 व्यवस्था की गयी है।

विद्यालय अनुदान से निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगें।

1– स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण।

2– स्कूल भवन की आवश्यक/विशेष मरम्मत एवं रखरखाव

3– स्कूल उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री/उपकरण : अलमारी, मेच, कुर्सी आदि का क्रय।

4– स्कूल भवनों : दीवारों पर स्थानीय तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कक्षाओं : कलाकृतियों, प्राकृतिक चित्रों आदि को चित्रांकित किया जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्षवार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता

सारणी – 8.1

नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं ड्राप आउट तथा नामांकन के कारण अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता

वर्ष	कुल परिषदीय नामांकन	ड्राप आउट	प्रभावी नामांकन	1:40 अनुपात पर वांछित अध्यापक	सृजित पद	अतिरिक्त अध्यापक	शिक्षक	शिक्षा मित्र
2001–02	168852	27	123261	3081	3027	54	27	27
2002–03	179092	22	139691	3492	3027	411	205	205
2003–04	189670	17	157426	3935	3492	443	222	221
2004–05	192846	12	169704	4243	3935	308	154	154
2005–06	213458	07	198515	4963	4243	720	360	360
2006–07	216274	00	216274	5406	4963	443	222	221
2007–08	227082	00	227082	5677	5406	271	136	135
2008–09	237364	00	237364	5934	5677	257	129	128
2009–10	243698	00	243698	6092	5934	158	79	79

8.4 अध्यापक अनुदान :– सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500 रू0 प्रत्येक अध्यापक की दर से एक मुश्त धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण छात्रों के सहयोग से करेंगे उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्नलिखित है।

नोडिंग हार्स	–	लीवर सिस्टम समझाने के लिये
पंतग	–	एलास्टिसिटी समझाने के लिये
कागज की सीटी	–	ध्वनि कंपन
मास्क (मुखौटे)	–	कहानी कविता भाषा ज्ञान
सांप सीढ़ी	–	अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण हेतु।

8.5 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :– वर्ष 1999–2000 तक कानपुर नगर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अनिवाहक स्वयं बच्चों के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकें क्रय करते थें। वर्ष 2000–2001 में सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विशेष व्यवस्था की गयी। जिससे कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में नामांकित I.Ih., I.Vh. एवं समस्त बालिकाओं की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिष्द द्वारा नवविकसित पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी

PRASHANT

2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुमानित संख्या सारिणी द्वारा प्रर्दशित है।

कक्षा 1 से 5 वय वर्ग के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण हेतु बच्चों की संख्या सारिणी

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की (अनु. जाति. सहित)	कुल योग
1.	2001	42697	239259	281956
2.	2002	43636	253138	296774
3.	2003	44595	258201	302796
4.	2004	45576	263364	308940
5.	2005	46577	268632	315209
6.	2006	47603	274004	321607
7.	2007	48650	279483	327086
8.	2008	49718	285073	334791
9.	2009	50812	290774	341586
10.	2010	51929	296590	348519

प्रति वर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिये भी जायगी। जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

कक्षा 6 से 8 के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विवरण हेतु बच्चों की संख्या सारिणी

क्रम	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की (अनु. जाति. सहित)	कुल योग
1.	2001	23027	119106	142133
2.	2002	24754	128634	153388
3.	2003	26486	138925	165411
4.	2004	28340	150039	178379
5.	2005	28738	162042	190780
6.	2006	29137	162510	191647
7.	2007	29719	165760	195479
8.	2008	30313	169075	199388
9.	2009	30919	172456	203375
10.	2010	31537	175905	207442

प्रति वर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिये भी जायगी। जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकर किया जायेगा।
    - माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
    - माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
    - माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभादकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेंगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियनित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा

है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों, उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये जनपद कानपुर नगर में बालिकाओं की शिक्षा वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत हैं जिसे तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

जनपद की विकास खण्डवार एवं नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत है

क्रम	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1.	कल्यानपुर	49.87	27.50	39.72
2.	विधनू	48.87	27.53	38.20
3.	सरसौल	51.63	27.84	40.71
4.	चौबेपुर	52.89	30.88	42.80
5.	शिवराजपुर	52.26	31.55	42.76
6.	बिल्हौर	48.84	30.22	40.24
7.	ककवन	49.50	25.10	38.30
8.	भीतरगांव	52.37	29.57	41.76
9.	पतारा	49.25	26.60	38.85
10.	घाटमपुर	49.22	26.15	39.59
11.	नगर क्षेत्र	68.76	53.40	

स्रोतः– जनपदीय सांख्यकीय पत्रिका 1998

जिन विकास खण्डों में महिला साक्षरता दर कम है। जैसे ककवन तथा पतारा में बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

सारणी

विकास क्षेत्र/नगर क्षेत्रवार कोहर्ट ड्राप आउट वर्ष 1999–2000

क्रम	विकास क्षेत्र/ नगर क्षेत्र	कोहर्ट ड्राप आउट रेट		
		कुल	बालक	बालिका
1.	कल्यानपुर	27.58	15.33	12.25
2.	बिधनू	27.50	16.15	11.35
3.	सरसौल	29.47	17.27	12.20
4.	चौबेपुर	25.43	13.25	12.18
5.	शिवराजपुर	14.73	08.48	06.25
6.	बिल्हौर	20.07	16.05	11.02
7.	ककवन	25.86	15.51	10.35
8.	भीतरगांव	23.50	12.20	11.30
9.	पतारा	22.99	12.14	10.15
10.	घाटमपुर	29.86	16.66	13.20
11.	नगर क्षेत्र	28.67	13.49	15.18

इस विवरण के यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है किसी भी राष्ट्र का विका वहां की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है यह कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा के अभियान के अन्तर्गत बालको का नामांकन शत–प्रतिशत करने के साथ ही साथ सभी वर्ग की शत–प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक मे आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आयी हैं। जिनके समाधान के लिये बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।जनपद मे बालिका शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शत–प्रतिशत नामांकन/ठहराव का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक कार्य योजना प्राथमिकता के आधार पर बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत :–

1. सामुदायिक गतिशीलता को बढावा देना ।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।
3. महिला शिक्षिकाओं का चयन (आचार्या के रूप मे)
4. विशेष समूहों हेतु योजना (एवं अल्पसंख्यक)
5. अध्यापक प्रशिक्षण
6. निःशुल्क पुस्तक वितरण
7. ग्राम शिक्षा समितियो का प्रशिक्षण
8. कार्यानुभव आधारित केन्द्रो का चयन
9. एन0जी0ओ0 से सहायता
10. विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा
11. अनुसधान

PRASHANT

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ग्राम शिक्षा समिति मे कम से कम तीन महिला सदस्यो का होने का प्रावधान है उनमें से एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या एवं अनुसूचित जाति की नामांकित महिला एवं एक नामांकित अभिभावक माँ हो ।

प्रशिक्षण मे लिए संसाधन समूहों का गठन किया जायेगा जिसमे स्थानीय और गैर सरकारी संगठनो आधारभूत कार्यकर्ताओं, संकुल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों का समावेश किया जायेगा।

विशेष कार्ययोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा मे बालिकाओं की भागीदारी मैं सुधार का एक आदर्श सकुल विकास अधिगम स्थापित कर इसके द्वारा बालिका शिक्षा को बढावा देने का प्रयास किया जायेगा।

इस कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरण में औपचारिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा मे नामांकन / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा द्वितीय चरण मे बालिकाओं की उपस्थिति एव ठहराव को केन्द्रित करना है। संकुलों के चुनाव का मापदण्ड :–

1 महिलाओं की शिक्षा दर कम

2 बालिकाओं का कम नामांकन एवं ठहराव

3 अनुसूचित / अन्य पिछडे वर्ग / अल्पसंख्यक जन समुदाय की अधिकता

4 10–12 गावो का संकुल।

संकुलों के माध्यम से नामांकन अभियान चलाया जायेगा

जिसके अन्तर्गत निम्न योजनाएं चलायी जायेगी :–

1 पदयात्रा / प्रभातफेरी

2 नुक्कड नाटक

3 बैठके

4 घर–घर जाकर प्रोत्साहित करना

5 सोना अभियान

6 माँ–बेटी मेला

7 महिला सासद

8 सक्रिय महिला समूहों अथवा प्रेरित व्यक्ति को सम्मिलित करना।

नामांकन के पश्चात ठहराव हेतु निम्न कदम उठाय जायेंगे।

1. अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा
2. समय को लचीला बनाया जायेगा ताकि अधिक संख्या में बालिकाओ का नामांकन किया जा सके।
3. नये शिशु केन्द्र खोलना।
4. उपस्थिति का निरन्तर अवलोकन
5. संकुल पर विचार विमर्श।
6. विद्यालयों में विशेष आयोजन।
7. ग्राम शिक्षा समितियों की क्षमता विकास कार्यक्रम चलाना।

शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना एवं सुदृढीकरण :-

प्रारम्भिक बाल देखरेख प्रशिक्षण सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में प्रारम्भिक बाल शिक्षा से दोहरे लाभ है प्रथम यह कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु बच्चों को तैयार करना दूसरा यह विद्यालय जाने वाली बालिकाओं के छोटे भाई बहनों की देखरेख से मुक्तकर विद्यालय में रहने का अवसर प्रदान करता है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथनिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों नें आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

बाल विकास परियोजना की प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत किया जाएगा। सामग्री सहायता द्वारा सुदृढ़ करना तथा प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय से समन्वय स्थापित करना।

अन्य शिविर :-

1. ग्रीष्मकालीन शिविर :-

चिन्हांकित शाला त्यागी बस्तियों में बालिकाओं के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे। जो संख्या के आधार पर B.R.C., C.R.C., N.P.R.C. स्तर पर होंगें। साथ ही साथ जीवनोपयोगी अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण किशोरीन्वय बालिकाओं को दिया जाएगा।

- आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी एवं उनके बचाव के तरीके।
- किशोरन्वय तनाव से बचने उपाय एवं उनका समायोजन।
- व्यक्तित्व विकास।
- नेतृत्व क्षमता विकास।
- वाणी सम्बोधन क्षमता विकास।

उपरोक्त प्रशिक्षण की अवधि 15 दिन की होगी प्रशिक्षक को बुलाया जायगा एवं उन्हें सम्मान स्वरूप प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्य :–

शालात्यागी बालिकाओं की जो उन्हें अपने पैतृक व्यवसाय एवं बच्चों के देखभाल हेतु प्रयोग करते है एवं ऐसी बालिकाओं के लिए जनपद में कार्यानुभव आधारित विद्यालयों का चयन किया जाएगा। जिसमें ब्लाक स्तरीय विद्यालय होंगे कम्प्यूटर शिक्षा ग्रामीण एवं शहरी असमानता को दूर करते हुए आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग प्रोत्साहन एवं रूचि संवर्धन हेतु जिला योजना मे प्रथम चरण मे प्रत्येक ब्लाक में उच्च प्राथमिक स्तर पर एक–एक कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है आने वाले वर्षों में इनकी संख्या प्रत्येक विकास खण्ड में एक होगी।

कुछ विकास खण्डों में बालिकाओं के लिए सिलाई :– कढ़ाई बुनाई एवं ब्यूटी पार्लर आदि की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी कम्प्यूटर एवं अन्य प्रशिक्षकों को मान देय दिया जायेगा ।

*बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण :–*प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे का वर्ष मे एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।

समर कैम्प का आयोजनः– प्रति कैम्प (10 हजार)

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–20
2002–03	–20
2003–04	–10
2004–05	–10
2005–06	–05

बच्चो मे शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने एंव शालात्यागी बच्चो को अगले सत्र मे प्रवेश देने हेतु बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु 10–15 गांवों का एक आदर्श संकुल गठित किया जायेगा जिसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाया जायेगा

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–2
2002–03	–2
2003–04	–1
2004–05	–1

PRASHANT

SUPW (कार्यानुभव) कार्यक्रम

(SOCIAL USEFUL PRODUCTIVE WORK FOR GIRLS)

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना लागू की जायेगी।

वर्ष	*केन्द्र संख्या*
2001–02	–10
2002–03	–10
2003–04	–07
2004–05	–04
2005–06	–04
2006–07	–04
2007–08	–02
2008–09	–01

EARLY CHILD CARE EDUCATION

जिला स्तर पर एक सेंटर प्रस्तावित है।

मां अध्यापक संघ एवं अभिभावक – अध्यापक संघ की स्थापना :–

इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों के अभिभावकों/मां के बीच उनकी समस्याओं के प्रति सामंजस्य स्थापित करने एवं निवारण तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक/मां अध्यापक की बैठक प्रस्तावित है।

कलॉ जत्था :–

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु पंचायत स्तर पर कला जत्था भेज कर शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

जागरूकता सामग्री का निर्माण :–

प्रत्येक बालक के लिये 5000 रू0 की सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

बालमेला का आयोजन :–

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बालमेला का आयोजन प्रस्तावित है।

आडियोटेप का निर्माण :–

जिला स्तर पर आडियोटेप का निर्माण कराकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु उनका प्रयोग किया जायेगा।

दक्षता संवर्धन हेतु ग्राम शिक्षा समितियों को पुरस्कार देने का प्रावधान :–

दक्षता संवर्धन हेतु दो सबसे अच्छी ग्राम शिक्षा समितियो को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

दक्षता संवर्धन हेतु सबसे अच्छे शिक्षा मित्र को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान :–

दक्षता संवर्धन हेतु सबसे अच्छे शिक्षा मित्र को पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान किया गया है।

रिमेडियल क्लास चलाना :–

अनुसूचित जाति के ऐसे बच्चे जो कक्षा में सभी बच्चों के साथ नही चल पाते है उन्हे अलग–अलग कक्षाये चलाकर सभी बच्चो के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु – 300 अनुसूचित जाति के बच्चो की व्यवस्था की जायेगी।

कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था :–

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे ब्लाक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्कूल पुस्तकालय की स्थापना :–

सभी स्कूलो मे पुस्तकालय की स्थापना प्रस्तावित है।

TASHANT

समेकित शिक्षा - विशेष वर्ग की शिक्षा

शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नही किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चो को भी विद्यालय मे नही लाया जाता है। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहा बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चो को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जायेगी। जनपद कानपुर मे इस प्रकार के जो विकलांग बच्चे अभी तक चिन्हित किये गये अथवा किये जायेगे उनके लिए समेकित तथा सम्मिलित शिक्षा की योजना तैयार की जायेगी जिसमें सर्वप्रथम मेडिकल बोर्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये जायेगें इसमें निम्न मार्गदर्शिका को ध्यान में रखा जायेगा। नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य होना शेष है।

समस्यायें :-

बच्चो मे कुछ विकलांगतायें/अक्षमतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म के बाद विकसित होती है। साथ ही कुछ अक्षमतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चो की अधिगम अक्षमता के कई कारण होते है। बौद्धिक क्रिया कलाप का निम्न स्तर एवं विकास की मन्दगति देखने मे कठिनाई सुनने एवं बोलने मे कठिनाई हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ पैर का न होना अंगो की विकृति मासपेशियों के तालमेल न होने से क्रियाकलाप मे कठिनाई मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओ जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति विषयक समस्याए।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवं विद्यालय से सम्बन्धित होते है। जैसे माता-पिता के स्नेह मे कमी बच्चो को हीन भावना से देखना। सीखने के समान अवसर न मिलना। शिशु स्तर पर लालन-पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना। शिक्षक एवं बच्चों के विकलांग बच्चो के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना। विकलांगता के कारण बच्चो मे आत्मनिर्भरता की कमी, चलने में परेशानी समाज मे उपेक्षित रहने का भय बना रहता है।

विश्लेषण :-

विश्लेषण से यह तत्व उभर कर सामने आये है जैसे अध्यापको का विश्वास है कि अक्षम बच्चो की शिक्षा के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढने के लिये विशेष तकनीकी की आवश्यकता नही होती है। केवल अध्यापकों को कुछ बातो का ध्यान रखना होगा। जैसे विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चो के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है। शेष बच्चे सामान्य बच्चो के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

PRASHANT

आवश्यकतायें / कार्य योजना :–

संवेदी करण हेतु सबसे पहला बिन्दु परिवर्तन का है इस हेतु समुदाय : परिवार एवं शिक्षको के दृष्टिकोण मे परिवर्तन लाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

संवेदीकरण :–

1. समुदाय का सवेदीकरण – इसके अन्तर्गत जनसमुदाय की भ्रान्तियो को दूर किया जायेगा साथ ही ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाया जायेगा। इस हेतु गोष्ठी एवं प्रचार माध्यम का उपयोग किया जायेगा।

2. सामूहिक जनसभा करके परिवार एवं भाई –बहनों का संवेदीकरण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। विकलांगता अभिषाप नही है। हमें ऐसे बच्चों को दया नही सहयोग देना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

3. अध्यापको का संवेदीकरण के अन्तर्गत उन्हें इस तथ्य के अवगत कराया जाना है कि ऐसे बच्चो के विकास में आपकी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का निर्धारण किया जायेगा।

छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :–

1 ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख चिकित्सा अधिकारियों को मुख्य संकल्पनाओं के बारे मे अवगत कराया जायेगा। अन्तर क्षेत्रीय सहयोग के लिये प्रयास किया जायेगा। बैठक मे जाच दल का चुनाव किया जायेगा।

2 चिकित्सा दल चुने हुए अध्यापक – अध्यापिकि के साथ मिलकर छात्रों की जाच पर विचार–विमर्श कर अन्तर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया जायेगा।

3 तकनीकी कर्मचारी प्राथमिक स्वास्थ्य पर बल दिया जायेगा।

4 विशेषज्ञों को बुलाया जायेगा।

5 विशेषज्ञों को सम्मान स्वरूप धनराशि दी जायेगी।

विकलांगता के प्रकार :–

1 दृष्टि विकलांगता

2 श्रव्य विकलांगता

3 अस्थि विकलागता

4 मन्दबुद्धि विकलांगता

उपकरण तथा उपस्कर :–

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिये बच्चों का डॉक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक्ट एक ई0 एन0 टी0 डाक्टर एवं आई स्पेशलिस्ट हो द्वारा मेडिकल एसेसमेन्ट कराया जायेगा। फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ली जायेगी इसके लिये निम्न संस्थाओं से सम्पर्क किया जायेगा।

1. राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।
2. एलिस्को जी0 टी0 रोड, कानपुर–208 016
3. अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेन्टर कर्करडूमा विकासमार्ग, दिल्ली।
4. मंगलम ए–445 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5. यू0पी0 विकलांग केन्द्र 13, लूकरगंज, इलाहाबाद।

अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण –

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से लिया जायेगा। जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जायेगा। समेकित शिक्षा के लिये प्राथमिक अध्यापकों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और इन मास्टर ट्रेनर्स का 10 दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल सेन्टर द्वारा दिया जायेगा।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये विकसित प्रशिक्षण माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा जैसे:–

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना।
- इन बच्चों को समूहों के लिये शिक्षण रणनीति विकसित करना।
- कक्षा – कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन।
- इन बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श और मार्गदर्शन देना।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

PRASHANT

विकलांग बच्चों की सहायता :–

सभी वर्गों के विकलांग बच्चों की शिक्षा सुलभ बनाने हेतु प्रति बच्चे 120 रू0 सहायता प्रति वर्ष 1000 बच्चों को प्रस्तावित है।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति में ग्राम शिक्षा समितियों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की जायेगी। हमारे प्रदेश में ग्राम शिक्षा समितियों को अस्तित्व दो दशक से भी अधिक का हैं किन्तु इनकी प्रभावी भूमिका कुछ समिति गतिविधियों तक ही रही है।

सर्व शिक्षा अभियान के अधीन इन समितियों को न केवल विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन का दायित्व दिया जायेगा। साथ ही ग्राम की शिक्षा की शिक्षा विकास योजना की संरचना का भी दायित्व दिया जायेगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्थानीय आवश्यकताओं के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के नियोजन में ग्राम शिक्षा समिति और इसके माध्यम से उस क्षेत्र की जनता की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सकें। यह नवीन चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है क्यों कि आज के बालकों के भविष्य की शिक्षा का नियोजन एवं प्रबन्धन और उसके माध्यम से एक सफल नागरिक का विकास हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। प्रत्येक विकास खण्ड में से उत्कृष्ट कार्य के लिये दो ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25000 रू0 का पुरस्कार देने की योजना इस अभियान में सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम शिक्षा समितियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। यह प्रतिस्पर्धा मात्र अनुदान प्राप्त करने के लिये ही नहीं अपितु क्षेत्र प्रगति की शिक्षा– व्यवस्था औपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा दोनों विधाओं के माध्यम से विकसित और प्रभावी करने हेतु है।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता :–

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे; इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

<u>ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण :–</u>

प्रशिक्षण के उद्देश्य :–

1. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा को पूर्णता अपनाने हेतु क्रियाशील बनाना।
2. प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक विशेष रूप से बालिका शिक्षा एवं विकलांग बच्चों के लिये वातावरण निर्माण में ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय के सक्रिय योगदान के संदर्भ में (सेन्सिटाइज करना) जागरूक बनाना।
3. विकेन्द्रीकृत नियोजन के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण के अभ्यास के द्वारा ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने की दक्षिता विकसित करना।
4. आकर्षक विद्यालय/कक्षा निर्माण ; रूचिपूर्ण माहौल; विद्यालय संचालन के ग्राम शिक्षा समिति के योगदान के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहित करना।
5. अर्न्तक्षेत्रीय समन्वयन : सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहीत करना।

5. अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन : सहयोग तथा प्राथमिक शिक्षा के लिये वित्तीय एवं अन्य स्थानीय संसाधन जुटाने के लिये अभिप्रेरित/सुग्रहीत करना।

विशेष उत्तरदायित्व वहन करना :–

1. ग्राम शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह करना।
2. आवश्यकतानुसार नये बेसिक स्कूलों का चयन : स्थल चयन आदि कार्यवाही।
3. नये विद्यालय का निर्माण 3 माह के सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालय को आकर्षक बनाना।
4. विद्यालय सम्पत्ति का रखरखाव
5. वित्तीय संसाधन जुटाना।
6. स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर समुदाय के सहयोग से शिक्षण सामग्री तैयार करवाना। शिक्षण सामग्री : आपरेशन ब्लैक– बोर्ड की सामग्री एवं साइंस किट का समुचित प्रयोग करवाना।
7. प्राथमिक विद्यालय के समस्त बच्चों का नामांकन करवाना जुलाई से सितम्बर तक 'स्कूल चलो अभियान' चलवाना।
8. स्कूल मे बच्चो का धारण में स्थायित्व बालिकाओ और अपवंचित वर्ग के बच्चो पर विशेष ध्यान देना।
9. विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा मे लाना।
10. स्कूल के बाहर के बच्चों; विशेष रूप से बालिकाओं बाल मजदूरो की शिक्षा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से कराना।
11. शिक्षक मातृ संघ एवं अभिभावक शिक्षक संघो का गठन करना तथा उनकी नियमित बैठकें करवाना।
12. वन विभाग के सहयोग से विद्यालय में वृक्षारोपण करवाना। समुदाय को प्रेरित कर विद्यालय की आवश्यकतानुसार सहायता दान/श्रम के रूप में प्राप्त करना।
13. अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति के बच्चो तथा सभी बालिकाओ को निःशुल्क पुस्तको का वितरण सुनिश्चित करवाना।
14. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों पर बच्चो का नामांकन, संचालन मे सहयोग देना एवं अनुश्रवण करना।
15. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों को हेल्थ चेकअप करवाना, तथा बच्चो को प्रतिरक्षीकरण टीका लगवाना।
16. युवक मंगल दल एवं युवती मंगल दलों को प्रेरित करना ताकि आवश्यकतानुसार ग्राम स्कूल की सफाई; निर्माण आदि मे श्रमदान करके सहयोग दे सकें।

17. कक्षा में इमला लिखवाना; जोर से पढ़वाना; गृहकार्य एवं जाचं कार्य आदि कार्यों को नियमित करवाना।

18 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभिन्न कार्यों का वितरण करना।

19. शिक्षा सिर्फ कक्षा तक ही सीमित न रहे इसके लिये माहौल बनाने की आवश्यकता है।

अतः हमारे परिवेश में विभिन्न व्यवसायों – मिट्टी के बर्तन; खिलौने बनाने, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी के कुशल कारीगरों; अच्छे कहानी वाचक; गायक; वादक; कहानीकारों को समय–समय पर बच्चों से वार्तालाप कर विभिन्न जानकारी देने के लिये बुलाया जाय। इससे बच्चों के दृष्टिकोण मे कार्य की महत्ता पहचानने में बढावा मिलेगा। अतः इन व्यक्तियों की सन्दर्भ व्यक्ति के रूप मे सूची बना ली जायेगी।

20. प्राथमिक विद्यालय में 10–10 पुस्तकें प्रति कक्षा रख कर बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

शिक्षा के लिये वातावरण निर्माण :–

1. जनसहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों; विद्यालयों द्वारा प्रभातफेरियो, मशाल जुलूसो आदि का आयोजन किया जायेगा।

2 समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेलेः बाल मेलेः प्रदर्शनी आदि आयोजित किये जायेगे।

3 प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेगें।

4 गाव के स्थानी कलाकारो द्वारा नाटकः गीत आदि तैयार करवाकर प्रस्तुति करण किया जायेगा।

5 पोस्टर :– गीत नारों कहानियों, चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओ की शिक्षा के महत्व को उजागर किया जायेगा।

6 बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्धित अन्धविश्वासों; पूर्वाग्रहो आदि को दूर किया जायेगा।

7. बालिका का शिक्षित होना बातक से भी अधिक आवश्यक है – अभिभावकों में यह भावना जागृत करायी जायेगी।

8. सहभागी क्रियाओ, अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुति करण करना कि लड़की भी कर सकती है। आप के सपने पूरे; आपके परिवार का नाम रोशन।

9. विद्यालय भ्रमणः विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय ने भेजने वाले परिवारों का अध्ययन तथा इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा।

10. क्षेत्र में लगने वाले हाटः मालमेलो प्रदर्शनियो में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/वीडियो कैसेट का प्रसारण प्रदर्शन किया जायेगा।

11. अर्न्तकक्षीय/अर्न्तविद्यालयी प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेगी।

12. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित कार्यक्रम चलाया जायेगा।

13. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना। बालिकाओं के नामांकन के लिये विशेष अभियान मीना फिल्म, प्रदर्शन एवं चर्चा। सामूहिक पी0टी0 प्रतियोगिता विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं पुरस्कार देना। अभिभावक – शिक्षक बैठकों का आयोजन कराये जायेंगे।

14. अर्न्तराष्ट्रीय दिवसों का आयोजन/राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन/त्योहारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं द्वारा गावों के प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना। दीवार समाचार पत्र; नारे लेखन; महत्वपूर्ण स्थानों पर नारे; सूक्तियां विचार लेखन आदि। पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग। साक्षरता प्रसार कार्य किया जायेगा।

15. नारे व सूक्तियों का निर्माण : आकर्षक स्कूल भवन; रख–रखाव, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण; न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं– लेखन; सुस्वर पाठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

16. छात्रों में गणवेश; व्यक्तिगत सफाई नाखून काटना स्वच्छ दाँत प्रतिदिन स्नान करना, बालों की स्वच्छता एवं विन्यास; जूते पहनने की आदतों को विकसित करने हेतु आयोजित करायी जायेगी।

अन्य विभागों से भी अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा

स्वास्थ्य विभाग :

ग्राम वासियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ए0एन0एम0 की सहायता से बच्चों को टीके लगवाना। गांवों मे स्वास्थ्य ... खुलवाये जहां दवाइयां, ओ0आर0एस0 के पैकेट, टीके एवं प्रशिक्षित दाई की सहायता से सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था कराना।

महिला" एवं बाल विकास विभाग :–

यदि आंगनबाडी केन्द्र नहीं है तो बाल विकास विभाग से संपर्क कर खुलवायेंगे। आंगनवाडी कार्यकर्त्री की सहायता से बच्चों को नियमित वजन करवाना ताकि बच्चों का कुपोषण न हो सके। सभी बच्चों को नियमित एवं समय पर टीके लगवायेंगे। गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फॉलिक एसिड गोलियां दी जायेंगी।

विकलांग कल्याण विभाग :–

विकलांग बच्चों की पहचान का प्रमाण पत्र बनवाये जायेंगें और जिला विकलांग कल्याण विभाग से उपकरण की व्यवस्था कराई जायेगी।

PRASHANT

श्रम विभाग :–

श्रम विभाग के सहयोग से 6–14 वर्ष वर्ग के बाल मजदूरों की पहचान कराई जायेगी। इन बच्चों को ब्रिज स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था कराई जायेगी।

जल विभाग :–

खराब हैण्डपम्प की मरम्मत एवं मानक के अनुसार नये हैण्डपम्प की व्यवस्था कराई जायेगी।

वन विभाग :–

विद्यालय परिसर में पौधों के रोपण में सहयोग लिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग :–

बच्चों की छात्रवृत्ति की समय से वितरण की व्यवस्था कराई जायेगी।

आपूर्ति विभाग :

विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार नियमित प्रतिमाह वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जायेगी।

महिला समाख्या :

बालिकाओं के नामांकन, सम्प्राप्ति, वातावरण निर्माण एवं महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सहयोग लिया जायेगा।

PRASHANT

अध्याय - 9
गुणवत्ता विकास के लिए नियोजन

जनपद कानपुर नगर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1992 में की गयी थी। संस्थान के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण का दायित्व निर्वाह किया जाता है। कानपुर नगर में 1444 प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय तथा राजकीय) तथा 292 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा जनपद के विकास खण्डों में 297 ऑगनवाड़ी केन्द्र चल रहे है इसके अतिरिक्त जनपद में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के स्कूल चल रहे है। इन केन्दों के चलने से स्कूलों में बच्चों के नामांकन में प्रगति हुई है। बालिकाओं की प्रवेश दर बढ़ी है। स्कूल में बच्चों के ठहराव में प्रगति हुई है, परिषदीय विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का सामंजस्य स्थापित हुआ है। विद्यालयों में बच्चों को भेजने में अभिभावकों की रूचि बढ़ी है। स्कूल पूर्व शिक्षा के महत्व को देखते हुए ऐसे केन्द्र संचालित करने की आवश्यकता है।

बच्चों की शिक्षा में परिवार का सहयोग :-

स्कूल तथा समुदाय के बीच सहभागिता को बढ़ाने के लिए जनपद में 556 ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी हैं। किन्तु समुदाय से स्कूल को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव की प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता हैं तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति पर विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों के पर्यवेक्षण का भी दायित्व है।

यधपि विगत कुछ वर्षो से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय की सहभागिता बढ़ रही है। साथ ही यह बात और प्रबल सिद्ध होरही है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षा में समाज की सक्रियता एवं सहभागिता के बिना शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति दुष्कर है। इस प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

बच्चों की शिक्षा में परिवार का उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसी अपेक्षा की जाती है। इसका मुख्य कारण अभिभावकों का अशिक्षित होना है। जिसके कारण वह अपने बच्चों को घर पर शैक्षिक सहयोग नहीं दे पाते है और न वे विद्यालय द्वारा दिये गये बच्चे के कार्यो को देख पाते है। प्राथमिक

एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से वार्ता करने पर यह पता चला कि अभिभावकों द्वारा की शिक्षा में घर पर अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता और न वे अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति अवगत हो पाते है। इससे यह तथ्य उभर कर सामने आया कि बच्चों की शिक्षा में परिवार का स बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए माध्यमिक विद्यालयों की तरह प्राथमिक, उच्च प्राथ विद्यालयों में भी शिक्षक अभिभावक संघों का गठन आवश्यक है जिससे कि अभिभावक बच्चों गतिविधियों से अवगत हो सकें। साथ ही शिक्षक अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति उसको उपेक्षित शैक्षिक सहयोग पर चर्चा कर सकें।

शिक्षकों के बारे में स्थिति और मुद्दे :-

शिक्षकों के विषय-ज्ञान, शिक्षण कौशल और शिक्षण विधियों पर शिक्षक की मनोवृत्ति, प्रतिबद्वता एवं उत्प्रेरण बढ़ाने हेतु इस जनपद में अनेकानेक शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें प्रशि दिये गये किन्तु शिक्षकों में अपेक्षित सम्प्राप्ति नहीं हो पायी। कानपुर नगर में एस0ओ0पी0टी0 का प्रशि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कराया गया किन्तु समस्त जनपद आच्छादित नहीं हो सका।

एस0ओ0पी0टी0 कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयाँ अनुभव की गयी वे इस प्रकार है :-

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुयी होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिला स्तर के हों, के लिये एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकता और प्रकियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका बल्कि सीमित संख्या ही शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरान्त फालो-अप खासकर विकास खण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

जनपद में शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिये जो प्रयास किये गये है ----

प्राथमिक स्तर :- प्राथमिक स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को एस0ओ0पी0टी0 प्रशिक्ष कार्यक्रम 1993 से आयोजित किये गये थे। जिसका प्रमुख लक्ष्य निम्न था :

1- छात्रों के नामांकन को शत-प्रतिशत बढ़ाना।

2- छात्रों की विद्यालय में धारण-क्षमता में अभिवृद्धि करना।

3- दक्षताधारित शिक्षण के माध्यम से छात्रों में भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन की विभिन्न दक्षताओं और कौशलों को उजागर करना।

4- विद्यालयों में प्राप्त करायी गयी आपरेशन ब्लैक बोर्ड, योजना की सामग्री के महत्व एवं उसकी जानकारी तथा संचालन विधि एवं प्रयोग विधि स्पष्ट कर कक्षा में शिक्षण करते समय उसका समुचित तथा यथास्थान प्रयोग सुनिश्चित करना।

5- जनसंख्या वृद्धि के महत्व को स्पष्ट करना।

6- लैगिक समानता के महत्व की जानकारी कराना।

7- पर्यावरण संरक्षण : महत्व की जानकारी देना।

उच्च प्राथमिक स्तर :-

अभी तक सेवारत प्रशिक्षण के अन्तर्गत उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों को मात्र पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ही दिया जाता रहा है। उन्हें एस0ओ0पी0टी0 एवं अन्य प्रशिक्षणों से बहुधा वंचित रखा जाता है, किन्तु इस वर्ष एस0ओ0पी0टी0 के अन्तर्गत उच्च प्रा0वि0 के अध्यापकों को भी सम्मिलित किया गया एवं उनको दस दिवसीय गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान यह तथ्य उभरकर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आये कि इस तरह सभी विषयों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। शिक्षकों ने यह भी बताया कि इन प्रशिक्षणों की अवधि कम से कम 20-25 दिन होनी चाहिये।

प्राथमिक तथा उच्च प्रा0वि0 स्तर के शिक्षकों को जो भी प्रशिक्षण दिये गये है उनका कक्षा में सन्तोषजनक प्रभाव नहीं दिखायी देता। शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षणों के बाद भी बतायी गयी विधियों का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

प्रशिक्षण के बाद की स्थिति :-

कक्षा में स्कूल में, प्रशिक्षणों के बाद कक्षा में सहायक सामग्री के रूप में विज्ञान तथा गणित किट का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बालक सही ढंग से समझ नहीं पा रहे है। विद्यालय में एक कमरे में दो-दो कक्षा बैठने के कारण असुविधा होती है। जिसके कारण पाठ्यक्रम निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण में दिये गये निर्देशों का पालन भलीभाँति नहीं हो पाता। विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण की कमी दिखाई देती है।

शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए शिक्षकों को अद्यतन ज्ञान, आधुनिक शिक्षण विधियों की जानकारी तथा शिक्षा की नवीन संकल्पनाओं और नवाचारों से भलीभाँति परिचित कराना आवश्यक है जिससे वे समाज व राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुसार उपयोगी मानव संसाधन विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष सेवारत प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जो भी प्रशिक्षण दिये गये वे सभी प्रकार की योग्यता वाले अध्यापकों के लिए एक ही प्रकार के थे। उन प्रशिक्षणों से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री भी एक सी थी जिसके कारण कम योग्यताधारी शिक्षकों को पैकेज समझने में कठिनाई हुई। प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित दोनों प्रकार के शिक्षक एक साथ आ जाते है। जिसके कारण प्रशिक्षण संचालन में कठिनाई होती है। प्रशिक्षणों के संचालन में भी प्रतिभागी अध्यापकों की रूचि अलग-अलग दिखाई देती है। शिक्षकों की धारण क्षमता व शैक्षिक योग्यता भी अलग-अलग रहती है जिससे कुछ अध्यापक जल्दी तथा कुछ देर में समझ पाते है। अनुश्रवण में पाया गया शिक्षक प्रशिक्षण के अनुसार बहुत कम शिक्षण कार्य करते है।

शिक्षकों के साथ वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि अभी भी प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि विशेष कर उच्च प्रा0 वि0 के शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के कम योग्यताधारी तथा पुराने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण पैकेज बनाकर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तथा विद्यालयों में जाकर अनुश्रवण कर आवश्यकतानुसार विद्यालय

में ही प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता है। विशेषकर नगर निगम के अध्यापकों एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक इस प्रशिक्षण से अभी तक वंचित है साथ ही जिन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त भी किया है वे बतायी गयी नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग अपने विद्यालयों में नहीं करते। सामूहिक चर्चा के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यकतानुसार योग्यता वाले अध्यापकों की कमी है। विशेषकर गणित एवं विज्ञान विषयों के अध्यापक आज के पाठ्यक्रम के अनुरूप अद्यतन नहीं है। अतः ऐसे अध्यापकों के लिये भी प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक योग्यता :

प्राथमिक विद्यालयों के लिये शिक्षकों की निर्धारित योग्यता प्रशिक्षित स्नातक है। जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव की स्थिति का आंकलन निम्न सारिणी से स्पष्ट है :-

सारिणी 1

क्रम सं0		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	3649	935
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	62	02
3.	केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण	506	42
4.	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	89	--
5.	स्नातक (अप्रशिक्षित)	41	--
6.	क- विज्ञान शिक्षक	00	81
	ख- संस्कृत/उर्दू शिक्षक	334	111
7.	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	20	--
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1451	468
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	982	264
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	498	159

स्रोत : बी० एस० ए०, कानपुर नगर

सारिणी – २

शिक्षण अनुभव :

क-	5 वर्ष से कम	807	81
ख-	5 से 10 वर्ष तक	796	81
ग-	10 से 15 वर्ष तक	355	72
घ-	15 से 20 वर्ष तक	462	124
ङ-	20 से 30 वर्ष तक	292	107
च-	25 से 30 वर्ष तक	374	227
छ-	30 वर्ष से अधिक	563	324

स्रोत: बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर

उपर्युक्त सारिणी में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञता एवं उनके अनुभ का अवलोकन से निम्न बिन्दु उभर कर आये है ।

1- जनपद में 151 प्राथमिक शिक्षक अप्रशिक्षित हैं।

2- उच्च प्राथमिक स्तर में विषय विशेष के शिक्षकों की कमी है।

3- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों मे से 612 शिक्षक ऐसे हैं, ज हाईस्कूल या उससे कम योग्यताधारी हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों में गुणवत्ता विकास व लिये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण का कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके विपरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन:

जनपद में ऐसे प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या काफी है जहाँ प्रत्येक कक्ष के लिये एक शिक्षक उपलब्ध नहीं है। सारिणी-3 द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति दर्शायी गयी है --

प्राथमिक स्तर सारिणी - 3

एक शिक्षक विद्या0 सं.	दो शिक्षक विद्या0 सं.	तीन शिक्षक विद्या0 सं.	चार शिक्षक विद्या0 सं.	पाँच शिक्षक विद्या0 सं.	पाँच से अधिक शिक्षक विद्या0 सं.
391	486	283	129	96	57

उच्च प्राथमिक स्तर

58	50	45	80	37	22

स्रोत :- बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर।

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि ज्यादातर प्रा0 एवं उच्च प्रा0 वि0 में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति आज भी विद्यमान है। उच्च प्रा0वि0 में विज्ञान और गणित शिक्षकों का पर्याप्त अभाव है। बहुकक्ष शिक्षण की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की समस्यायें जं शिक्षकों से वार्ता करने पर ज्ञात हुई है के निदान हेतु ऐसे शिक्षकों को जिन्हें बहुकक्षा शिक्षण करन पड़ता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ताकि उन्हें बहुकक्षा शिक्षण में कठिनाई न हो।

शिक्षण सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ प्रा0 तथा उच्च प्राथमिक वि0 का भ्रमण करके अ यापकों से वार्ता की गयी। शिक्षण सामग्री का उपयोग प्रा0 तथा उच्च प्रा0 स्तर पर बहुत कम होता है उ प्रा0 स्तर मे तो नही के बराबर है। विद्यालयों मे शिक्षण सामग्री का पर्याप्त अभाव है थोड़ी बहुत जो साम है उसके रख-रखाव की स्थिति दयनीय है, सभी स्तर के अध्यापकों का यह मत था कि सहायक सामग्री निर्म उपयोग विधियों तथा रख-रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूरी है।

शिक्षकों की अकादमिक समस्यायें

प्राथमिक स्तर के शिक्षक :-शिक्षकों से समूह चर्चा (एफ0 जी0 डी0 के प्रमुख निष्कर्ष परिशिष्ट-1)के दौर प्राथमिक स्तर के पुराने शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार विषय ज्ञान की बहुत सी कि विषय-वस्तु के बारे में हमे शिक्षण कार्य करने मे कठिनाई होती है। पुराने तथा कम शैक्षिक योग्यताध अध्यापक विज्ञान तथा गणित की नवीन विधियों से शिक्षण कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक यह भी कहते है कि विद्यालय को समुदाय का सहयोग बहुत कम मिलता है। अधिकतर अभिभावक घर पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिये प्रेरित नहीं करते है जिससे बच्चे स्कूल बाद घर पर शिक्षक द्वारा दिये कार्यो को पूरा नहीं करते। शिक्षण कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो मे भ शिक्षकों से कार्य लिया जाता है जिससे पाठ्यक्रम कार्य दिवसों मे पूरा कराना कठिन हो जाता है। प्राथमि स्तर के शिक्षकों ने यह भी बताया कि मानक के अनुरूप भवन का न होना, आदर्श शिक्षण कक्ष का अभा विद्यालयों से छात्र संख्या मानक के अनुसार शिक्षक न होना, सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव, समुद की सहभागिता की कमी, प्रभावी निरीक्षण का न होना तथा विद्यालय मे शैक्षिक वातावरण सम्बन्धी क्रियाकल का अभाव शिक्षण कार्य में कठिनाई उत्पन्न करता है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक :- उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक कहते है कि जो बच्चे प्राथमि विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर आते है वे पूरी तरह तैयार नहीं होते। अधिकतर बच्चे न्यूनतम अधिगम स्तर व भी पूर्ण करके नहीं आते। उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिये विज्ञान तथा गणित जैसे कठिन विष को पढ़ाते में कठिनाई होती है विशेषकर ऐसे अध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण है इन्हें नवीन पाठ्यक्र के अनुसार विज्ञान तथा गणित के शिक्षण में कठिनाई होती है। इस श्रेणी के अध्यापक नवीन पाठ्यक्र के अनुसार प्रशिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता है, उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापक भी बताते है कि अभिभाव घर पर पढ़ने हेतु प्रेरित नहीं करते है। समुदाय का विद्यालय के प्रति वांछित सहयोग नहीं प्राप्त होता है।

जनपद मे शिक्षकों को कार्यस्थल पर ही सहयोग प्रदान करने और उनके कार्य का नियमित पर्यवे करने के लिये वर्तमान मे विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तर पर कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। एल0बी0एस0 तथा एस0डी0आई0 मुख्यत: प्रशासनिक दायित्वों का ही निर्वाह कर पाते है। अत: विकास खण्ड तथा न्य पंचायत स्तर पर बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की आवश्यकता है।

शिक्षकों से समुदाय की अपेक्षा क्या है :- डायट द्वारा समुदाय के विभिन्न श्रेणी तथा जातियों के लो से वार्तालाप (परिशिष्ट-1 एफ0 जी0 डी0 के प्रमुख निष्कर्ष) करके यह भी जानने का प्रयास किया गया समुदाय के लोग शिक्षकों से क्या अपेक्षायें रखते है। समुदाय के लोगों ने जो बताया उससे कुछ बातें उभर आयीं जिसमें मुख्य रूप से अध्यापकों का समय से विद्यालय आना, नियमित विद्यालय आना, विद्या अवधि मे पूरे समय बच्चों को पढ़ाना, विद्यालयीय क्रिया कलापों मे समुदाय के सभी वर्ग एवं जाति के ल की सहभागिता को महत्व दिया जाये।

शिक्षकों के अकादमिक सहयोग की व्यवस्था :-

जनपद में प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों के सहयोग समर्थन हेतु, उनकी अकादमि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एकमात्र संस्था डायट ही है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि (1) शिक्षकों को उनके कार्य-स्थल पर ही अकादमिक सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था स्थापित की जाये (2) प्रशिक्षण के उपरांत नियमित फालोअप और अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु संरचना की व्यवस्था की जाये इस दृष्टि से व्याय पंचायत स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 तथा विकास खंड स्तर पर बी0 आर0 सी स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।

बच्चों की स्थिति:- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया जो निम्न सारणी मे प्रदर्शित है

सारिणी 6

बच्चों की	कक्षा 5 में बच्चों की उपलब्धि:									
	भाषा					गणित				
सं0 प्रति0में	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-20%	1.6					23.8				
20-40%			44.1						61.2	
40-60 %			40.2			9.8				
60-80 %	9.0					4.2				
80-100%										

स्रोत:- बेसलाइन अध्ययन रिपोर्ट एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

सारणी से स्पष्ट है कि 91% बच्चों का भाषा में सम्प्राप्ति का स्तर 60-80% से कम है इसी प्रकार 95.8% बच्चों का गणित में संप्राप्ति स्तर 60-80% से कम है। अत: स्पष्ट होता है कि 90% से अधिक बच्चों के भाषा एवं गणित में सम्प्राप्ति के स्तर को वढ़ाकर 80-100% की श्रेणी में लाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य वार्ता करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आये कि शिक्षक छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने विषय की ओर आकर्षित करने में उतने सफल नहीं हो पा रहे है जितने कि होने चाहिये। शिक्षक और छात्र के मध्य आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की कमी परिलक्षित होती है। कक्षा का वातावरण शिक्षकों द्वारा इतना प्रभावी नहीं वनाया जाता है कि वच्चों की अभिरूचि में अभिवृद्धि होती रहे। कक्षा के कुछ ही वच्चे अध्यापक द्वारा पढ़ाये गये विषय से लाभान्वित होते है जिसका मुख्य कारण पूर्व में प्रचलित शिक्षण विधियाँ है। अध्यापक के सामने यह भी समस्या है कि उसे पूरा पाठ्यक्रम एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। साथ ही शिक्षा को रूचिपूर्ण बनाने हेतु न ही वह शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और न ही शिक्षण सामग्री द्वारा पाठ को सरल व बोधगम्य ही बना पाता है। यह भी तथ्य उभर कर आया कि विद्यालयों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड

का सामान उपलब्ध होने पर भी अध्यापक सामग्री टूट जाने के भय से उसका प्रयोग कक्षा में नहीं करते।

जनपद कानपुर एक औद्योगिक नगर होने के कारण बहुत से बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है ओर यह बालक विद्यालय नहीं जाते इसी प्रकार मलिन बस्तियों में भी बहुत से बच्चे है। जिनकी शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण पैकेज तैयार करने, शिक्षक, प्रशिक्षण आयोजित करने तथा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिये विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण एवं सतत् व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

लगभग 5–10% जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं पूरे परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है।

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करायी जानी है। समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये समुदाय, परिवार तथा अध्यापक तीनों का संवेदीकरण आवश्यक है।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद कानपुर नगर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं की वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक व समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित कि जायेगा।

जनपद में गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों को बेहतर तथा प्रभावी संचालन के लिए ब्लाक स्तर 10 बी0 आर0 सी0 तथा न्याय पंचायत स्तर पर 91 एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की जायेगी। केन्द्रों पर क्रमशः एक समन्वयक, एक सहसमन्वयक तथा एक समन्वयक का चयन कर पदस्थापना कि जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक डायट के अकादमिक नेतृत्व में कार्य करेंगे त सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथ गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसी **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डाय के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरी अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शि अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षक विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिग रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समा विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचाय स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ा के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजि करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

पूर्व प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधि

यों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में दे संवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 46 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लधु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 47 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 49 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 50 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा

सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षो से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष अधीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा

सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन

रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 232 शिक्षामित्रों तथा 167 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 280 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 150 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान,

इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियें के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण** – जनपद में नवस्थापित संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों की क्षमता विकास किया जायेगा। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.बी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस. ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी. ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु

आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिदिधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** –
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 180 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 6

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	10	16
अन्य कार्य	30	30
शिक्षण दिवस	180	176

स्रोत – डायट, कानपुर नगर

सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
भाषा–2 अंग्रेजी	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
भाषा–3 संस्कृत	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
विज्ञान	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
गणित	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
सामाजिक विषय	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
समाजपयोगी कार्य	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति
कला शिक्षण/व्यायाम	6/40 मि0 प्रति	6/40 मि0 प्रति

स्रोत – डायट, कानपुर नगर

उपर्युक्त सारिणी–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 180 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 176 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों

को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 2.97 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.18 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.66 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमादित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 1.53 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 61.35 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिगा जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा

उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी –

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादनिक नेतृत्व प्रदान करने की नहत्वपूर्ण भूनिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी..ई. प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट को क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर. सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षनता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यो हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षनता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया जायेगा जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य होंगे। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट,

इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अंतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर. सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा।

बी0ई0पी0 तथा डी0पी0ई0पी0 के अंतर्गत जनपदों में शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जनपद कानपुर नगर में लागू किया जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना मे प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित

किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदश जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट की जायेगी। न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जो शिक्ष अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित होंगी। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधा करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जायेगा। इ प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बना हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथ तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों व निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों प कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों म वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्ये विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की जायेगी। इसके द्वारा ब्लाकव ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्र आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिका के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति व विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण च को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

इस प्रकार डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का प्रतिवर्ष विश्लेषण किया जायेगा जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन् सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा का आयोजन एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा का आयोजन बी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा मूल्यांकन की व्यवस्थ डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल क विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मैटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन

22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के [illegible] सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी. आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।

3. कक्षा की शैक्षिक प्रक्रिया में समुदाय को जोड़ा जायेगा। छात्रों की प्रगति आख्या श्यामपट्ट पर अंकित की जायेगी। समय-समय पर समुदाय के लोगों को विद्यालयी मीटिंग में बुलाकर उनकी राय एवं सुधार प्रक्रिया भी जानी जायेगी। विद्यालय में कोई ग्रान्ट आती है तो उसको श्यामपट्ट पर अंकित कर समुदाय को अवगत कराया जायेगा। तथा उसका विद्यालय में अच्छे ढंग से कैसे प्रयोग किया जाये इस सम्बन्ध में उनकी राय माँगी जायेगी। बजट के प्रयोग में समुदाय को विश्वास में अवश्य लिया जायेगा। प्रथम वर्ष में विकास खंड कर दो ऐसी ग्राम शिक्षा समितियों का चयन कर वहां कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने का कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर चलाया जायेगा और सफलता के आधार पर इसका विस्तार करेंगे।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों, छात्रों एवं समुदाय के लोगों से जब बातचीत की गयी तो यह तथ्य उभर कर सामने आया कि सभी विद्यालयों में मुख्य रूप से छात्रों की तीन श्रेणियां होती है ।

1- तीव्र बुद्धि वाले बालक।

2- सामान्य स्तर के बालक ।

3- मन्द बुद्धि के बालक।

इसमें धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिये उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। प्रायोगिक तौर पर प्रत्येक एन. पी. आर. सी. में एक विद्यालय में इसे संचालित किया जायेगा और पुन: इसका विस्तार किया जयेगा।

पठन-पाठन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार :-

वस्तुत: शिक्षा की गुणवत्ता पठन-पाठन की प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्भर करती है, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बच्चों की गैर हाजिरी और बाद में विद्यालय छोड़ देना पठन-पाठन प्रक्रिया के स्वरूप से निर्धारित होता है। अत: पठन-पाठन की प्रक्रिया में सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल में निम्न बिन्दुओं का समावेश होगा -

- कक्षावार पाठ्यचर्या
- उन्नत पाठ्यचर्चा एवं पठन-पाठन सामग्री।
- बेहतर कक्षा सम्प्रेषण।
- गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री ।
- बालकेन्द्रित शिक्षण एवं कार्य आधारित लिखने की प्रक्रिया।
- बहु कक्षा एवं बहु श्रेणी शिक्षण।
- बच्चों के लिये रोचक एवं आकर्षक शिक्षण।

- शैक्षणिक विषयवस्तु और बच्चों के जीवन सन्दर्भों के बीच तालमेल।
- शिक्षक एवं बच्चों के मध्य परस्पर आसान सम्प्रेषण।
- बच्चों द्वारा अपने आप एवं हम उम्र के समूह के साथ मिलकर पढ़ना लिखना।
- लैंगिक, जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक भेद-भाव रहित माहौल।
- शिक्षक क्षमता सम्वर्धन।
- शिक्षार्थी सम्प्राप्ति के स्तरों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन।
- अधिगम के विभिन्न स्तर।
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड।
- शैशवकालीन देखभाल एवं शिक्षा।
- नवाचार एवं नवीन शिक्षण विधियाँ।
- बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री निर्माण तथा उपयोग।

शिक्षण सामग्री मेले :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु जनपद स्तर, बी0आर0सी0 स्तर तथा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर जो भी शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी, उसका प्रदर्शनी तथा मेलों के माध्यम से प्रचार तथा प्रसार किया जायेगा। शिक्षण सामग्री के प्रयोग विधि का प्रदर्शन भी किया जायेगा। शिक्षण सामग्री निम्नांकित विषयों पर तैयार की जायेगी ।

- विज्ञान शिक्षण।
- पाठ्यपुस्तक आधारित टी0एल0एम0।
- शिक्षकों के लिये अध्ययन सामग्री।

योजना तैयार करने की प्रक्रिया :-

सर्व शिक्षा अभियान की योजना में, डायट का अपना अलग स्थान है। योजना निर्माण के लिये कार्य योजना की रूप रेखा बनायी गयी तथा तैयार करने हेतु एक रूप रेखा का निर्माण किया। इस रूप रेखा के अनुसार सर्व प्रथम शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, खेल-कूद विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, युवक मंगल दल, संहिता समाज, नेहरू युवा केन्द्र, बेसिक शिक्षा समिति, जन प्रतिनिधियों, शिक्षक संगठन, शिक्षकों आँगनवाड़ी केन्द्र, अभिभावकों के विभिन्न/विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति बाहुल्य एवं अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के समुदायों से तथा स्वयं सेवी संगठनों के सामूहिक तथा अलग-अलग विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आवश्यकतानुसार बातें की गयी। आवश्यकतानुसार अभिलेखों को भी देखा गया। शिक्षकों तथा बच्चों से भी विचार विमर्श किया गया। आवश्यकतानुसार

प्रश्नावली के माध्यम से जो विचार-विमर्श किया गया उपर्युक्त सभी लोगों से विचार-विमर्श करने पर जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें योजना निर्माण में ध्यान रखा गया है तथा उसी के अनुरूप रणनीति निर्धारित की गयी है। विभिन्न समूहों से विचार-विमर्श में सुझाव तथा निष्कर्ष

निर्माण योजना हेतु एफ0जी0डी0 से प्राप्त प्रमुख सुझाव तथा निष्कर्ष :-

1- सभी लोगों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को भली-भाँति समझ कर सराहा गया।

2- बालिकाओं की शिक्षा के लिये विशेषकर उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

3- विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों में समुदाय के सभी वर्गों तथा जातियों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

4- प्रत्येक विद्यालय का अपना भवन हो। जो भवन पुराने तथा कमजोर हैं उनकी मरम्मत करायी जाये। प्रत्येक विद्यालय में वाउण्ड्रीवाल बनायी जाये। शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

5- प्रत्येक विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की जाये।

6- प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

7- बाल श्रमिकों के लिये जहाँ बाल श्रमिक अधिक है उनके लिये अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाये।

8- विद्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाओं से अभिभावकों, समुदाय तथा प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाये।

9- सभी अध्यापक समय से स्कूल जाकर पूरे समय तक बच्चों का शिक्षण कार्य करें।

10- बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत कराया जाये।

11- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण प्रभावशाली ढंग से चलाया जाये।

12- कम योग्यताधारी शिक्षकों तथा पुराने शिक्षकों के लिये अलग से प्रशिक्षण पैकेज बनाकर प्रशिक्षण दिया जाये तथा सभी अध्यापकों के लिये विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का निर्माण कर उपलब्ध कराया जाये।

13- प्रतिभाशाली बच्चों तथा कनिष्ठ शिक्षकों को समय-समय पर पुरस्कृत किया जाय

14- विशिष्ट श्रेणी के बच्चों तथा मलिक बस्तियों के बच्चों के शिक्षण के लिये वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये।

15- डायट के कार्यों का विकेन्द्रीकरण करके बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 का गठन करके उनको समस्त संसाधनों से परिपूर्ण करके अपेक्षित सहयोग लिया जाये।

16- कम्प्यूटर शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाये तथा अधिक से अधिक बच्चों को इन नवीन विद्याओं से परिचित कराया जाये।

17- रोजगार परक शिक्षा पर भी बल दिया जाये।

18- पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाये तथा उन्हें प्रभावशाली बनाया जाये।

19- प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अभिभावक संघों का गठन किया जाये तथा नियमित बैठकें करके विद्यालय सम्बन्धी पूरी जानकारी करायी जाये।

20- बच्चों को भ्रमण तथा पर्यटन नियमित रूप से कराया जाये।

21- अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में मकतब मदरसों के भी लाया जाये।

22- शिक्षक प्रशिक्षणों में मान्यता प्राप्त तथा हायर सेकेण्ड्री व इण्टरकालेजों में कार्यरत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाये।

सारणी

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

पदों का विवरण

01-01-2001 के आधार पर

क्र0सं0	पदनाम	सृजित पद	कार्यरत	रिक्त पद
1-	प्राचार्य	01	01	--
2-	उप प्राचार्य	01	--	01
3-	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4-	प्रवक्ता	17	15	02
5-	कार्यानुभव शिक्षक	01	01	--
6-	सांख्यिकीकार	01	01	--
7-	तकनीकी सहायक	01	01	--
8-	प्रति नियुक्ति पर तैनात प्रा0वि0 के शिक्षकों की सं0	--	--	--

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00 लाख

उपकरण/साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	10.00 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं/सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव/पी.ओ.एल.	0.50
	योग	10.00 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियें के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

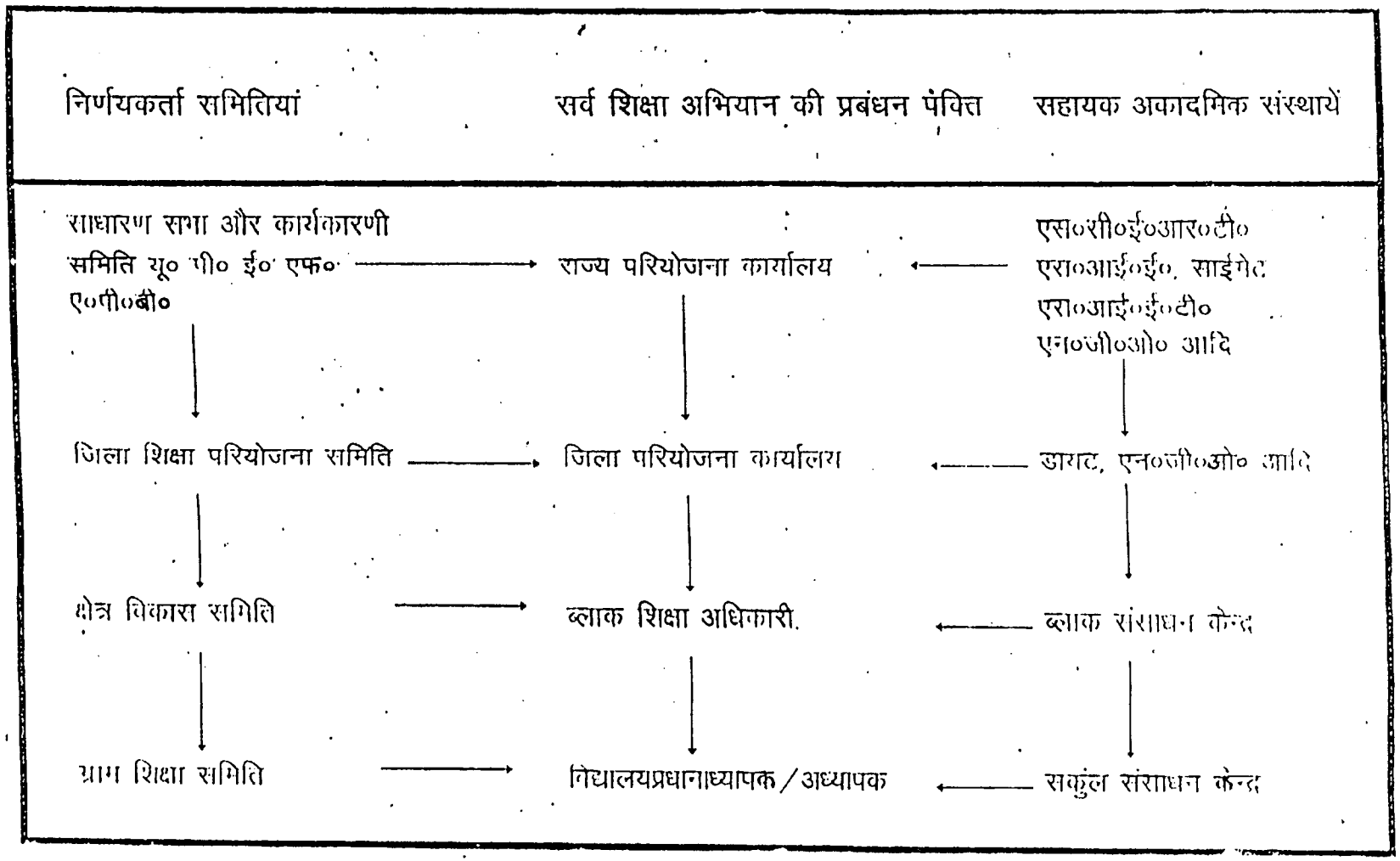

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी० →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति →	जिला परियोजना कार्यालय	← डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
क्षेत्र विकास समिति →	ब्लाक शिक्षा अधिकारी.	← ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓	↓	↓
ग्राम शिक्षा समिति →	विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक	← संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पचायत का प्रधान — अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का सकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्टतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलव्य कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

❖ जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
❖ मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	-	सदस्य-सचिव
❖ प्राचार्य डायट	-	सदस्य
❖ जिला श्रम अधिकारी	-	सदस्य
❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	सदस्य
❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.)	-	सदस्य
❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0)	-	सदस्य
❖ जिला विद्यालय निरीक्षक	-	सदस्य
❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	-	सदस्य

❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)

❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)

❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च्य नीति नियामक समिति है। जिले स्तर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संवंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्रायमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोंट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता का भाव:-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोग:-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयें हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फ़लस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

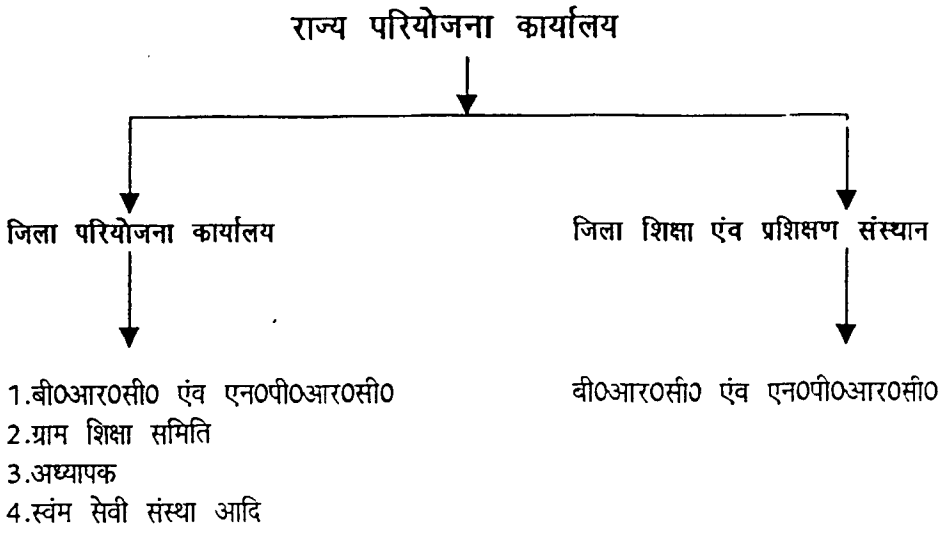

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफैरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

अध्याय-11

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS													
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18 +40)	30	7770									30	7770
1	New Upper Primary Schools	451 (383+10+18 +40)	53	23903	77	34727							130	58630
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) (1 Tr. + 1 SM)	11.25	30	3038	30	4050	30	4050	30	4050	30	4050	150	19238
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	9	212	17172	520	56160	520	56160	520	56160	520	56160	2292	241812
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	10	53	4770	130	15600	130	15600	130	15600	130	15600	573	67170
5	Furniture / Fixture & Equipment													
	PS	10	30	300									30	300
	UPS	50	53	2650	77	3850							130	6500
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Cohart Study	200	1	200					1	200			2	400
	Total		**463**	**60003**	**835**	**114587**	**681**	**76010**	**682**	**76210**	**681**	**76010**	**3342**	**402820**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10											0	0
	Total		**0**	**0**									0	0
	Interventions for out of school children													
A3	Alternative School (EGS + AIE)													
	EGS													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	2000	1410	3500	2468	2000	1410	1000	705	500	353	9000	6346
	Upper Primary	1.0 per child	500	500	1000	1000	1500	1500	1000	1000			4000	4000
	Total		**2500**	**1910**	**4500**	**3468**	**3500**	**2910**	**2000**	**1705**	**500**	353	**13000**	**10346**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	300	450	200	300	100	150					600	900
	Innovation of EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	80	120	80	120							160	240
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa												0	0
	SubTotal (A)		**3343**	**62483**	**5615**	**118475**	**4281**	**79070**	**2682**	**77915**	**1181**	**76363**	**17102**	**414306**
(R)	**RETENTION**													
	Additional Classrooms	70	300	21000	485	33950	400	28000	296	20720			1481	103670
	Reconst. of PS	191	32	6112	32	6112							64	12224
	Additional Teachers Primary School	7	32	2016	250	21000	485	40740	595	49980	664	55776	2026	169512
	Reconst. of UPS	383			10	3830							10	3830
	Additional Teachers Primary School (SM)	2.2	232	6125	250	6600	485	12804	595	15708	663	17503	2225	58740
R1	Toilets	10	200	2000	400	4000	256	2560					856	8560
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	46	828	24	432							70	1260
R3	Maintenance of School	5 PA/per schools	1811	9055	1894	0470	1904	9520	1004	9520	1904	9520	9417	47085

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	*Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R4	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School												0	0
	Repairs (PS+UPS)													
	Minor	20	134	2680	25	500							159	3180
	Major	70	20	1400	98	6860							118	8260
R5	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school	1444	2888	1474	2948	1474	2948	1474	2948	1474	2948	7340	14680
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school	292	584	345	690	422	844	422	844	422	844	1903	3806
R6	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				5000		5000		5000		5000		20000
	Promoting Girls Education													
	Summer Camps	10 per camp	20	200	10	100	10	100	5	50			45	450
R7	MCDA including Gender Sensitization	75 per cluster	2	150	1	75	1	75					4	300
R8	SUPW for girls	25 per school	10	250	7	175	4	100	4	100	4	100	29	725
R9	Training/Refresher Course for Gender Coordinators	1.5 per head per day												
R10	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre											0	0
1	Strengthening ICDs Centres													
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district											0	0
3	Civil Works (one additional room)	70											0	0

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	TLM for ECCE	5 per centre	60	300	60	300							120	600
5	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	90	405	150	675	150	675	150	675	150	675	690	3105
6	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	30	45	90	135	150	225	150	225	150	225	570	855
7	Training of ECCE Instructor (at BRC)	0.07/per/day												
	Induction	3	60	180	60	180							120	360
	Recurring	1.2	30	36	90	108	150	180	150	180	150	180	570	684
R11	Community Mobolisation													
1	MTA/PTA training	0.007	6500	46					6500	46	6500	46	19500	138
2	Kala Jatha (VEC, Bllck Level & Dist. Level)	8 per NPRC	10	80	10	80			10	80			30	240
3	Development of Awareness Material	5 per block	10	50	10	50			10	50	10	50	40	200
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	91	455	91	455	91	455	91	455	91	455	455	2275
5	Production of Audio Tapes	10 per district			1	10			1	10			2	20
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10					1	10			2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district											0	0
R12	Award of Best VEC (2 No.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
	[illegible]	10 per Bl[illegible]	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	50	350
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	50	250
R13	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R14	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	300	212	300	212	250	176	100	71			950	671
R15	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R16	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1000	1200	1000	1200	500	600	500	600	500	600	3500	4200
	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)											0	0
R17	Computer Education for UPS composite school	100	15	1500	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	55	5500
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1736	868	1794	897	1894	947	2000	1000	2000	1000	9424	4712
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school											0	0
	Sub Total (B)		**14534**	**60870**	**8997**	**107239**	**8662**	**107144**	**14994**	**109467**	**14718**	**96117**	**61905**	**480837**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	233	489	222	466	154	323	360	756	222	466	1191	2500
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 Days)	0.07 por person per day	233	98	222	93	154	65	360	151	222	93	1191	500

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	30	13	40	17	36	15					106	45
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	28		60		70						158	0
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3261	2283	3483	2438	3637	2546	3997	2798	4219	2953	18597	13018
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day											0	0
7	Induction Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	56	118	67	141							123	259
8	Refresher Course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			233	245	455	478	609	639	969	1017	2266	2379
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			27	28	83	87	150	158	150	158	410	431
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	50	20

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	485	170
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	125	175
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	125	265
16	BRC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day			107	161			107	161			214	322
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	130	45
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day											0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	200	300	200	300	200	300					600	900
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4600	414					4600	414	4600	414	13800	1242
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	2	140	5	350					9	630
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1200	420	600	210							1800	630
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	50	125

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	40	100
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3633	763									3633	763
	Total		**13677**	**5218**	**5464**	**4419**	**4995**	**4344**	**10384**	**5257**	**10583**	**5281**	**45103**	**24519**
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3494	1747	3716	1858	3870	1935	4230	2115	4452	2226	19762	9881
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1680	840	1920	960	2200	1100	2200	1100	2200	1100	10200	5100
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per child per year	152702	22905	160000	24000	170000	25500	180000	27000	185000	27750	847702	127155
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per child per year	26466	3970	35000	5250	40000	6000	50000	7500	55000	8250	206466	30970
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1444	722	1474	737	1514	757	1550	775	1550	775	7532	3766
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	292	292	320	320	380	380	450	450	450	450	1892	1892
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS					1	1000					1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160			1	160			1	160			2	320

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	10	70	10	70	10	70	10	70	10	70	50	350
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	50	250
R13	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R14	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child	300	212	300	212	250	176	100	71			950	671
R15	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child											0	0
R16	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1000	1200	1000	1200	500	600	500	600	500	600	3500	4200
	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)											0	0
R17	Computer Education for UPS composite school	100	15	1500	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	55	5500
	School Health Check Up (PS/UPS)	0.500 per school	1736	868	1794	897	1894	947	2000	1000	2000	1000	9424	4712
	Book Bank & School Library PS/UPS	5.0 per school											0	0
	Sub Total (B)		**14534**	**60870**	**8997**	**107239**	**8662**	**107144**	**14994**	**109467**	**14718**	**96117**	**61905**	**480837**
	(Q) Quality Improvement													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	233	489	222	466	154	323	360	756	222	466	1191	2500
2	Induction Traning for Assistant Teachet (6 Days)	0.07 por person per day	233	98	222	93	154	65	360	151	222	93	1191	500

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	30	13	40	17	36	15					106	45
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	28		60		70						158	0
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	3261	2283	3483	2438	3637	2546	3997	2798	4219	2953	18597	13018
6	Inservice training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day											0	0
7	Induction Training of EGS/AIE Worker (30 Days)	0.07 per person per day	56	118	67	141							123	259
8	Refresher Course for Shiksha Mitra (15 Days)	0.07 per person per day			233	245	455	478	609	639	969	1017	2266	2379
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			27	28	83	87	150	158	150	158	410	431
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	50	20

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day	97	34	97	34	97	34	97	34	97	34	485	170
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	25	35	25	35	25	35	25	35	25	35	125	175
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	25	53	25	53	25	53	25	53	25	53	125	265
16	BRC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day			107	161			107	161			214	322
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	26	9	26	9	26	9	26	9	26	9	130	45
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day											0	0
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	200	300	200	300	200	300					600	900
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	4600	414					4600	414	4600	414	13800	1242
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	2	140	2	140	5	350					9	630
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	1200	420	600	210							1800	630
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	50	125

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	8	20	8	20	8	20	8	20	8	20	40	100
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	3633	763									3633	763
	Total		**13677**	**5218**	**5464**	**4419**	**4995**	**4344**	**10384**	**5257**	**10583**	**5281**	**45103**	**24519**
Q2	Teaching Learning Material													
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	3494	1747	3716	1858	3870	1935	4230	2115	4452	2226	19762	9881
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1680	840	1920	960	2200	1100	2200	1100	2200	1100	10200	5100
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per child per year	152702	22905	160000	24000	170000	25500	180000	27000	185000	27750	847702	127155
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per child per year	26466	3970	35000	5250	40000	6000	50000	7500	55000	8250	206466	30970
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1444	722	1474	737	1514	757	1550	775	1550	775	7532	3766
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	292	292	320	320	380	380	450	450	450	450	1892	1892
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS					1	1000					1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160			1	160			1	160			2	320

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10							2	20
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each							1	400			1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each							1	400			1	400
12	School Awards	25		25		25		25		25		25	0	125
	Total		**186080**	**30671**	**202433**	**33480**	**217966**	**36857**	**238434**	**40085**	**248653**	**40736**	**1093566**	**181829**
	Subtotal (C)		**199757**	**35889**	**207897**	**37899**	**222961**	**41201**	**248818**	**45342**	**259236**	**46017**	**1138669**	**206348**
C1	**DIET**													
	Civil Work	5000	1	5000									1	5000
1	Furniture	100	1	100									1	100
2	Equipments (including audio visual)	300	1	300									1	300
3	Computers Work Station	600	1	600									1	600
4	Vehicle (where appkicable)	350		350									0	350
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
7	Maintenance of Vehicle	20			1	20	1	20	1	20	1	20	4	80
8	Research/Action Research	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
	Seminars	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	5	1000
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30					3	90

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Publications	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	5	2000
10	Exposure visits	50	1	50			1	50			1	50	3	150
11	Library	25	1	25	1	25	1	25			1	25	4	100
12	Salary of computer operator	7	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	60	420
13	Salary of Driver (where applicable)	4	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	60	240
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
	Contingency	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
	Total		**38**	**7532**	**34**	**1152**	**35**	**1202**	**32**	**1097**	**34**	**1172**	**173**	**12155**
C2	Block Resource Centre													
1	Civil Construction												0	0
2	Salary Coordinator	10	10	900	10	1200	10	1200	10	1200	10	1200	50	5700
3	Asstt. Coordinator (2 no)	9	20	1620	20	2160	20	2160	20	2160	20	2160	100	10260
4	Chowkidar	4	1	36	1	48	1	48	1	48	1	48	5	228
5	Equipment/Furniture	100	10	1000									10	1000
6	Travelling Allowance	5	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
7	Maint of Equipment	1			1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
8	Maint of building	6			1	60	1	60	1	60	1	60	4	240
9	Books	10			10	100			10	100			20	200
10	Monitoring & Supervision (PS & UPS)	0300 per school	1736	521	1794	538	1894	568	2000	600	2000	600	9424	2827

26.6.2002

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
KANPUR NAGAR

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Consumables	5	10	50	10	50	10	50	10	50	10	50	50	250
12	Contingency	12	10	120	10	120	10	120	10	120	10	120	50	600
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	120	36	120	36	120	36	120	36	120	36	600	180
	Total		**1918**	**4333**	**1978**	**4372**	**2068**	**4302**	**2184**	**4434**	**2174**	**4334**	**10322**	**21775**
C3	School Complex (NPRC)													
1	Construction	200											0	0
2	Salary Coordinator	9	91	7371	91	9828	91	9828	91	9828	91	9828	455	46683
3	Equipment/Furniture	10											0	0
4	Books for Library/Book Bank	5			97	485			97	485			194	970
5	Contingency	2.5	97	243	97	243	97	243	97	243	97	243	485	1215
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 per meeting	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	1164	233	5820	1165
7	Monitoring & Supervision (PS / UPS)	0.200 per school	1736	347	1794	359	1894	379	2000	400	2000	400	9424	1885
													0	0
	Total		**3088**	**8194**	**3243**	**11148**	**3248**	**10683**	**3449**	**11189**	**3352**	**10704**	**16378**	**51918**
C4	District Project Office													
	Staffing Coordinators4													
	Consultants2													
	AAO													
	Driver1													
	(if vehicle is purchases)	88	1	792	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5016
	Equipment	50	1	50									1	50
	Furniture & Fixture	50	1	50									1	50